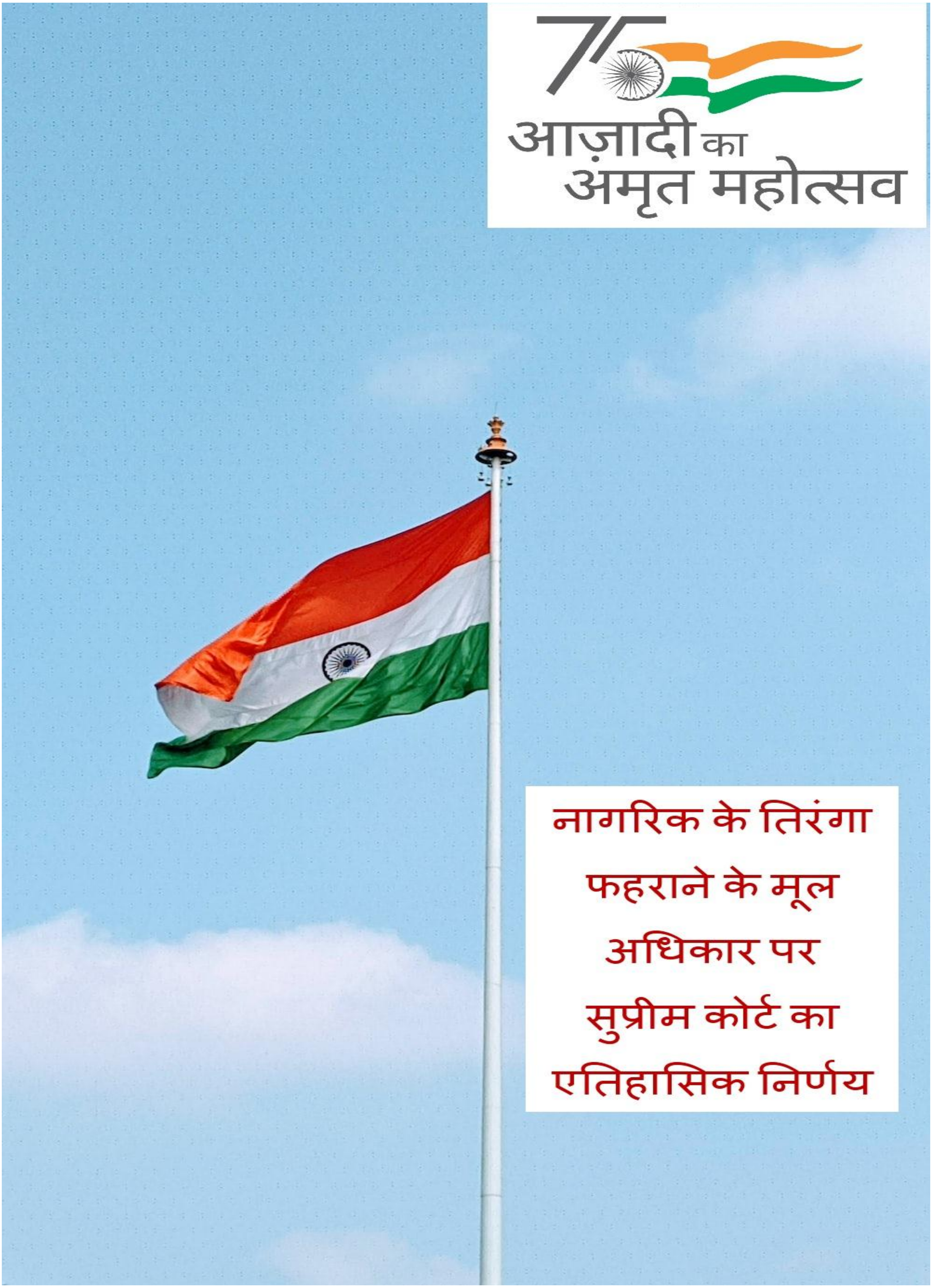

आज़ादी का अमृत महोत्सव

नागरिक के तिरंगा फहराने के मूल अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का एतिहासिक निर्णय

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सुप्रीम कोर्ट ने **भारत संघ** बनाम **नवीन जिन्दल** वाले निर्णय में देशवासियों द्‌वारा अपने निजी गृहों, कार्यालयों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा फहराए जाने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के अंतर्गत देशप्रेम की अभिव्यक्ति का अधिकार माना है । विधि साहित्य प्रकाशन ने इस निर्णय का प्राधिकृत हिंदी पाठ वर्ष 2004 में उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में प्रकाशित किया था ।

विधि साहित्य प्रकाशन
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

[(2004) 2 उ. नि. प. 200]

भारत संघ

बनाम

नवीन जिन्दल और एक अन्य

(1996 की सिविल अपील संख्या 2920 और 2004 की सिविल अपील संख्या 453)

23 जनवरी, 2004

मुख्य न्यायमूर्ति वी. एन. खरे, न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार और न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा

संविधान, 1950 - अनुच्छेद 19(1)(क) - वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य - सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19(1)(क) के अर्थान्तर्गत नागरिक का मूल अधिकार तो है फिर भी यह अनुच्छेद 19(2) के युक्तियुक्त निर्बंधनों के अध्यधीन है ।

संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) - धारा 3 [सपठित राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971] - राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग - राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग को उक्त अधिनियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जा सकता है, इसलिए उक्त अधिनियम विधिसम्मत, युक्तियुक्त और प्रवर्तनीय है ।

संविधान, 1950 - अनुच्छेद 13(3)(क) - 'विधि' - 'ध्वज संहिता' - केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कार्यपालिका अनुदेशों वाली ध्वज संहिता अनुच्छेद 13 के अर्थान्तर्गत विधि नहीं है, फिर भी राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को कायम रखने के लिए ध्वज संहिता के अधीन निर्बंधनों का पालन किया जाना चाहिए ।

संक्षेप में मामले के तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी श्री नवीन जिंदल, कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं । उन्होंने उक्त कंपनी के कारखाने के भारसाधक अधिकारी होने के नाते कारखाना परिसर में स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते थे । किंतु उनको सरकारी अधिकारियों द्वारा कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से इस आधार पर अनुज्ञा प्रदान नहीं की गई कि ऐसा करना भारत की ध्वज संहिता के अधीन अनुज्ञेय नहीं है । प्रत्यर्थी ने उक्त कार्यवाही को प्रश्नगत करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका इस आधार पर फाइल की कि कोई भी विधि भारतीय नागरिकों को अपने मकान, दुकान, कार्यालय और कारखाने इत्यादि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से प्रतिषिद्ध नहीं कर सकती क्योंकि सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है और ध्वज संहिता में भारत सरकार के कार्यपालक अनुदेश समाविष्ट हैं जिनको अनुच्छेद 13(3)(क) के अधीन 'विधि' नहीं माना जा सकता और इस संहिता के बाबत यह नहीं कहा जा सकता कि इसके उपबंध संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 के अर्थान्तर्गत ध्वज फहराए जाने पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करते हैं । उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी-भारत संघ द्वारा यह दलीलें दी गईं कि (1) केंद्र सरकार प्रत्येक सार्वजनिक स्थान या भवन पर राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग को निर्बंधित करने के लिए प्राधिकृत है और संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 की धारा 3 के

अधीन उसमें निहित प्राधिकार द्वारा इसे विनियमित कर सकती है, (2) उपरोक्त अधिनियम द्वारा अधिरोपित निर्बंधन और सरकार द्वारा जारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अधीन वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करते हैं, (3) राष्ट्रीय ध्वज के अबाध प्रयोग की अनुज्ञा प्रदान करने या उसके प्रयोग को निर्बंधित करने का प्रश्न नीति का विषय है जिसका अधिकार संसद और सरकार को प्राप्त है । चूंकि यह सांविधानिकत: अनुज्ञेय एक नीतिगत मामला है, इसलिए न्यायालयों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि (1) संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के उपबंधों का अतिक्रमण किया गया है या नहीं, ऐसा मामला है जो न्यायालय के अवधारण क्षेत्र के भीतर आता है, न कि कार्यपालिका के, (2) ध्वज संहिता द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर अधिरोपित निर्बंधन संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत विधि न होने के कारण शास्तिक उपबंध नहीं माने जा सकते, (3) तथापि, यदि 1950 के अधिनियम के अधीन या राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अधीन जारी किसी अनुदेश और मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लंघन होता है, तो इससे दंडनीय अपराध गठित होगा, (4) संविधान सभा में हुई बहस और श्री के. वी. सिंह द्वारा लिखित पुस्तक 'अवर नेशनल फ्लैग' के लेखांश के प्रति भी निर्देश करते हुए उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि ध्वज संहिता जारी करके नागरिकों को शिक्षति किया जाना आवश्यक है और राष्ट्रीय ध्वज ससम्मान फहराया जाना चाहिए और जब तक भारत का नागरिक ऐसा करे, तब तक ध्वज संहिता के अनुदेशों के आधार पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जा सकता । भारत संघ ने इस निर्णय से व्यथित होकर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष इजाजत याचिका फाइल की । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष इजाजत याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित - प्राचीन काल में लोगों ने अपने राष्ट्रीय ध्वज का गौरव बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी । राष्ट्रीय ध्वज कहे जाने वाले इस कपड़े के टुकड़े की ऐसी क्या विशिष्टता है, जिस कारण लोग अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं ? निर्विवाद रूप से राष्ट्रीय ध्वज संपूर्ण राष्ट्र के आदर्शों, आकांक्षाओं, उसकी आशाओं और उपलब्धियों का प्रतीक है । "राष्ट्रीय ध्वज" जैसाकि लेफ्टिनेंट कमांडर के. वी. सिंह ने अपनी पुस्तक 'अवर नेशनल फ्लैग' में कहा है, देश का सर्वाधिक परमपावन प्रतीक है । चाहे राज्य का मुखिया हो, राजा हो या कृषक, सभी इसका अभिवादन करते हैं । जो राष्ट्रीय ध्वज कहा जाने वाला कपड़े का टुकड़ा है, संपूर्ण राष्ट्र के सम्मान और गौरव का प्रतीक है । जब यह ध्वज फहराता है, 'तो सच्चे नागरिक का हृदय गर्व से फूला नहीं समता' । भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरामन् ने इसी पुस्तक की प्रस्तावना में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति निर्देश करके यह कहा, "हमारा ध्वज मंगलकारी और प्रणादायी दोनों है । इसमें उन महान आत्माओं का आशीर्वाद छिपा हुआ है, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई । यह हमें उनके न्यायपूर्ण और अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने की प्रेरणा भी देता है । चूंकि हम अपनी सुरक्षा, एकता और अखंडता की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए हमें इस ध्वज की पुकार सुनकर

शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए स्वयं को पूर्ण समर्पित करना चाहिए तभी पंथ, जाति या लिंग के भेद बिना सभी भारतीय अपने को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं ।" (पैरा 7)

पूर्वोक्त कारणों से हम अभिनिर्धारित करते हैं कि (i) सम्मान और गरिमा के साथ अबाध रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(i)(क) के अर्थान्तर्गत राष्ट्र के गौरव के प्रति, उसके प्रति निष्ठा की भावना और संवेग की अभिव्यक्ति होने के कारण नागरिकों का मूल अधिकार है ; (ii) राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मूल अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है अपितु संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) के अधीन युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन होने के कारण एक सापेक्ष अधिकार है ; (iii) संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम , 1950 और राष्ट्रगौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग को विनियमित करते हैं ; (iv) यद्यपि ध्वज संहिता संविधान के अनुच्छेद 13(3)(क) के अर्थान्तर्गत अनुच्छेद 19 के खंड (2) के प्रयोजन के लिए विधि नहीं है, फिर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार के अबाध प्रयोग को निर्बंधित रूप से विनियमित नहीं करती । तथापि, ध्वज संहिता, जहां तक राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और गरिमा को संरक्षित करने को उपबंधित करती है, का पालन किया जाना चाहिए ; (v) सांविधानिक स्कीम के निर्वचन के प्रयोजनार्थ और विनियामक उपायों/निर्बंधनों और नागरिक के मूल/विधिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयोजनार्थ संविधान के दोनों भागों अर्थात् भाग-4 और 4-क का अवलंब लिया जा सकता है । (पैरा 82)

[2003] (2003) 8 एस. सी. सी. 2004 :

पुनीत राय बनाम **दिनेश चौधरी** 31

[2003] जजमेंट टूडे 2003 (7) एस. सी. 446 :

भारतीय हस्तशिल्प इम्पोरियम और अन्य बनाम **भारत संघ और अन्य ;** 74

[2003] (2003) 7 एस. सी. सी. 133 :

रंगनाथ मिश्र बनाम **भारत संघ और अन्य ;** 77

[2003] (2003) 4 एस. सी. सी. 399 :

पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबरटीज और एक अन्य बनाम **भारत संघ और एक अन्य ;** 50

[2003] (2003) 1 एस. सी. सी. 591 :

हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ;** 64

[2001] (2001) 2 ए. एल. टी. 141 :

ए. सत्य फनीन्द्र बनाम **थाना प्रभारी, कोडा (थाना) नालगोंडा और अन्य ;** 80

[2000] (2000) 6 एस. सी. सी. 213 :

एम. सी. मेहता बनाम **कमल नाथ ;** 51

आज़ादी का अमृत महोत्सव

[2000] (2000) 2 आल इंग्लैण्ड ला रिपोर्ट्स 315 :

विक्टर चान्डलर इंटरनेशनल बनाम **सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क आयुक्त और एक अन्य ;** 36

[1997] एक्स. पी. ए. (1997) 9 एडमिनिस्ट्रेटिव ला रिपोर्ट्स 504 :

आर. बनाम **वेस्टमिनिस्टर सिटि कौंसिल** ; 36

[1997] सिडनी ला रिव्यू, खंड 1, संख्या 1, मार्च 1997 :

लेवी बनाम **स्टेट आफ विक्टोरिया और लैंज** बनाम **आस्ट्रेलिया ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन;** 40

[1995] (1995) 5 एस. सी. सी. 139 :

टाटा प्रसे लि. बनाम **महानगर टेलीफोन निगम लि. और अन्य ;** 60, 64

[1995] (1995) 2 एस. सी. सी. 161 :

सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम **बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन और अन्य ;** 56

[1994] (1994) 5 एस. सी. सी. 550 :

गजानन विशेश्वर बिरजुर बनाम **भारत संघ ;** 63

[1993] (1993) 4 एस. सी. सी. 441 :

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम **भारत संघ ;** 30

[1992] (1992) 3 एस. सी. सी. 637 :

एल. आई. सी. बनाम **प्रोफेसर मनूभाई डी. शाह ;** 54

[1991] (1991) 3 एस. सी. आर. 459 :

सी. बी. सी. बनाम **ए. जी. एन. बी.** ; 46

[1990] (1990) 2 एस. सी. सी. 746 :

नीलिमा मिश्रा बनाम **हरिंदर कौर ;** 52

[1989] (1989) 2 एस. सी. सी. 574 :

एस. रंगाराजन आदि बनाम **पी. जगजीवन राम और अन्य** ; 76

[1989] (1989) 1 एस. सी. आर. 927 :

इरविन ट्वाय बनाम **क्यूबेक (महान्यायवादी)** ; 45

[1988] (1988) 2 एस. सी. आर. 90 :

फोर्ड बनाम **क्यूबेक** ; 45

आज़ादी का अमृत महोत्सव

[1986] (1986) 3 एस. सी. सी. 619 :

बिजो इमेनुअल और अन्य बनाम **केरल राज्य और अन्य ;** 29

[1985] (1985) 1 उम. नि. प. 615 = (1985) 1 एस. सी. सी. 641 :

इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम **भारत संघ और अन्य ;** 58

[1984] (1984) 1 एस. सी. आर. 269 :

नेशनल बैंक आफ कनाडा बनाम **आर. सी. यू ;** 45

[1981] ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 487 :

अजय हासिया बनाम **खालिद मुजीब ;** 52

[1980] (1980) 2 एस. सी. सी. 768 :

जगदीश सरन और अन्य बनाम **भारत संघ ;** 47

[1979] ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1628 :

आर. डी. शेट्टी बनाम **भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण** ; 52

[1979] (1979) 1 उम. नि. प. 243 = ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 597 =(1978) 1 एस. सी. सी. 248 :

मेनका गांधी बनाम **भारत संघ** ; 51, 52

[1974] ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 555 :

ई. पी. रायप्पा बनाम **तमिलनाडु राज्य** ; 52

[1973] (1973) 1 उम. नि. प. 527 = (1972) 2 एस. सी. सी. 788 :

बेनेट कोलेमन एंड कंपनी बनाम **भारत संघ और अन्य** ; 62, 64

[1967] ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1170 :

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम **ठाकुर भारत सिंह** ; 29

[1963] ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1295 :

खड़क सिंह बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 28

[1962] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1166 :

कामेश्वर प्रसाद बनाम **बिहार राज्य ;** 53

[1962] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 305 :

साकल पेपर्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम **भारत संघ ;** 64

41 लाइयर्स एडीशन सेकेंड, पृष्ठ 842 :

हेरोल्ड ओमांड स्पेंस ; 67

22 लाइयर्स एडीशन सेकेंड, पृष्ठ 572 :
सिडनी स्ट्रीट बनाम **न्यूयार्क राज्य** ; 67

106 लाइयर्स एडीशन सेकेंड, पृष्ठ 345 :
टेक्सास बनाम **जान्सन** ; 67

110 लाइयर्स एडीशन सेकेंड, पृष्ठ 287 :
यू. एस. बनाम **शान डी. ईचमैन** ; 67

319 यू. एस. 624 :
बोर्ड आफ एजूकेशन बनाम **बारनेट** । 68

अपीली (सिविल) अधिकारिता : **1996 की सिविल अपील संख्या 2920 और 2004 की सविल अपील संख्या 453**

1995 की सिविल रिट याचिका संख्या 420 और 1995 की सिविल प्रकीर्ण याचिका संख्या 5418 में दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 22 सितंबर, **1995** के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री राजू रामचन्द्रन (अपर महासालिसिटर), पी. पी. मल्होत्रा (वरिष्ठ अधिवक्ता), हेमंत शर्मा, सुश्री सुषमा सूरी, ए. डी. एन. राव, ब्रजेश कुमार, अशोक कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री डा. ए. एम. सिंघवी (वरिष्ठ अधिवक्ता), सुश्री गौरी रसगोत्रा, अमित भंडारी और सुश्री सुमन ज्योति खेतान ।

मु. न्या. खरे - विशेष इजाजत याचिका में इजाजत दी जाती है ।

2. इन अपीलों में संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या भारतीय नागरिकों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अर्थान्तर्गत एक मूल अधिकार है ।

3. इसमें के प्रत्यर्थी नवीन जिन्दल कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं । वे मध्य प्रदेश के रायगढ़ स्थित उक्त कंपनी के कारखाने का भारसाधक होने के नाते अपने कारखाने के परिसर स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे । किंतु सरकारी अधिकारियों द्वारा उनको इस आधार पर ऐसा करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की गई कि यह भारत की ध्वज संहिता के अधीन अनुज्ञेय नहीं हैं ।

4. उक्त कार्रवाई को प्रश्नगत करते हुए प्रत्यर्थी ने, अन्य बातों के साथ-साथ इन आधार पर उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल की कि कोई भी विधि भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने से प्रतिषेध नहीं करती । सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मूल अधकार होने के कारण उस

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पर ध्वज संहिता, जिसमें केवल भारत सरकार के कार्यपालक अनुदेश समाविष्ट हैं और जो विधि नहीं हैं, के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करती है ।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी-भारत संघ ने ये दलीलें दीं :-

"1. यह कि केंद्र सरकार प्रत्येक सार्वजनिक स्थान या भवन पर राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग करने का निर्बंधन अधिरोपित करने के लिए प्राधिकृत है और संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 की धारा 3 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार द्वारा इसे विनियमित कर सकती है ;

2. यह कि अधिनियम द्वारा अधिरोपित निर्बंधन और सरकार द्वारा जारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अधीन वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर युक्तियुक्त निर्बंधन होने के कारण सांविधानिकत: विधिमान्य हैं ।

3. यह कि राष्ट्रीय ध्वज के अबाध प्रयोग की अनुज्ञा प्रदान करने या उसके प्रयोग को निर्बंधित करने का प्रश्न नीति का विषय है जिसका विकल्प संसद और सरकार को है । चूंकि यह सांविधानिकत: अनुज्ञेय एक नीति विकल्प है, इसलिए न्यायालयों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।"

6. उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया - (1) यह प्रश्न कि संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (जिसे इसके पश्चात् संक्षेप में '1950 का अधिनियम' कहा गया है) के उपबंधों का अतिक्रमण किया गया है या नहीं, ऐसा मामला है जो न्यायालय के अवधारण के क्षेत्र के भीतर आता है, न कि कार्यपालिका के ; (2) ध्वज संहिता द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर अधिरोपित निर्बंधन संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत विधि न होने के कारण शास्तिक उपबंध नहीं माने जा सकते; (3) तथापि, यदि 1950 के अधिनियम के अधीन या राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् '1971 का अधिनियम' कहा गया है) के अधीन जारी किसी अनुदेश और मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लंघन होता है, तो इससे दंडनीय अपराध गठित होगा ; (4) संविधान सभा में हुई बहस और श्री के. वी. सिंह द्वारा लिखित पुस्तक 'अवर नेशनल फ्लैग' के लेखांश के प्रति भी निर्देश करते हुए उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि ध्वज संहिता जारी करके नागरिकों को शिक्षति किया जाना आवश्यक है और राष्ट्रीय ध्वज ससम्मान फहराया जाना चाहिए और जब तक भारत का नागरिक ऐसा करे, तब तक ध्वज संहिता के अनुदेशों के आधार पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जा सकता ।

7. आगे विचार करने से पूर्व यह स्मरणीय है कि प्राचीन काल में लोगों ने अपने राष्ट्रीय ध्वज का गौरव बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी । राष्ट्रीय ध्वज कहे जाने वाले इस कपड़े के टुकड़े की ऐसी क्या विशिष्टता है, जिस कारण लोग अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं ? निर्विवाद रूप से राष्ट्रीय ध्वज संपूर्ण राष्ट्र के आदर्शों, आकांक्षाओं, उसकी आशाओं और उपलब्धियों का प्रतीक है ।

"राष्ट्रीय ध्वज" जैसाकि लेफ्टिनेंट कमांडर के. वी. सिंह ने अपनी पुस्तक 'अवर नेशनल फ्लैग' में

कहा है, देश का सर्वाधिक परमपावन प्रतीक है । चाहे राज्य का मुखिया हो, राजा हो या कृषक, सभी इसका अभिवादन करते हैं । जो राष्ट्रीय ध्वज कहा जाने वाला कपड़े का टुकड़ा है, संपूर्ण राष्ट्र के सम्मान और गौरव का प्रतीक है । जब यह ध्वज फहराता है, 'तो सच्चे नागरिक का हृदय गर्व से फूला नहीं समता' । भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरामन् ने इसी पुस्तक की प्रस्तावना में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति निर्देश करके यह कहा :-

"हमारा ध्वज मंगलकारी और प्रणादायी दोनों है । इसमें उन महान आत्माओं का आशीर्वाद छिपा हुआ है, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई । यह हमें उनके न्यायपूर्ण और अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने की प्रेरणा भी देता है । चूंकि हम अपनी सुरक्षा, एकता और अखंडता की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए हमें इस ध्वज की पुकार सुनकर शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए स्वयं को पूर्णसमर्पित करना चाहिए तभी पंथ, जाति या लिंग के भेद बिना सभी भारतीय अपने को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं ।"

8. जब भारतीय संविधान के प्रारुप पर बहस चल रही थी तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को महसूस किया । उसके लिए स्वतंत्र भारत के ध्वज का डिजाइन तैयार करने के लिए एक तदर्थ समिति गठित की गई । समिति के अन्य सदस्य थे अब्दुल कलाम आजाद, के. एम. पानिकर, सरोजिनी नायडु, सी. राजगोपालाचारी, के. एम. मुंशी और डा. बी. आर. अम्बेडकर । गठन के उपरांत समिति ने कई बैठकें कीं और प्रश्न का गहनतापूर्वक अध्ययन किया । इसने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला :

"(क) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को उपयुक्त उपांतरणों के साथ भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकृत किया जाए ताकि यह भारत के सभी दलों और समुदायों को स्वीकार्य हो ।

(ख) ध्वज में क्षैतिज रूप से तीन रंगों वाली तीन पट्टियां होनी चाहिए ।

(ग) रंग इस क्रम में होने चाहिंए : सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरा हरा ।

(घ) ध्वज कक संप्रतीक सफेद पट्टी के मध्य केंद्र में अध्यारोपित अशोक सारनाथ स्तम्भ के शीर्ष फलक पर स्थापित चक्र का यथावत प्रत्युत्पादन होना चाहिए ।

(ङ) संप्रतीक का रंग गहरा नीला होना चाहिए ।"

9. पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तारीख 22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था । इस प्रस्ताव की प्रतिक्रियाएं पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण हैं और संपूर्ण भारत के लोगों के लिए राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को उपयुक्त रूप से प्रतिबिंबित करती हैं । ध्वज की भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसका अंगीकरण उस संग्राम की पराकाष्ठा का एक संकेत है । तथापि, वर्तमान समाज में यह स्वतंत्रता का प्रतीक मात्र न होकर कुछ और भी है ।

10. पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि ध्वज हम लोगों के लिए केवल स्वतंत्रता का ध्वज नहीं है, किंतु उन सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता का प्रतीक है जो स्वतंत्रता पाना चाहते थे (तारीख 22 जुलाई, 1947, संविधान सभा बहस में पृष्ठ 766 दृष्टव्य है) । यह अमीर और धनाढ्य लोगों का ही ध्वज नहीं था बल्कि यह संपूर्ण देश के सभी पददलित, उत्पीड़ित और रसातल में पड़े वर्गों का ध्वज है (तारीख 22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा बहस में पृष्ठ 771 पर श्री वी. आई. मुनिस्वामी पिल्लई के विचार दृष्ट्व्य हैं) । यह ध्वज किसी विशिष्ट समुदाय का ध्वज नहीं बल्कि सभी भारतीयों का राष्ट्रीय ध्वज है । श्री फ्रैंक एंथनी ने कहा 'जबकि यह हमारे अतीत का प्रतीक है, फिर भी यह हमें भविष्य की प्रेरणा देता है । आज यह ध्वज राष्ट्रीय ध्वज के रूप में लहरा रहा है और यह प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य और विशेषाधिकार होना चाहिए कि न केवल उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उन्हें जीवन में उतारे बल्कि यदि आवश्यक हो तो इसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दें' (तारीख 22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा बहस में पृष्ठ 780 दृष्टव्य हैं) ।

11. पंडित गोविन्द मालवीय ने बहुत ही उपयुक्त रूप में राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को वर्णित करते हुए कहा 'राष्ट्रीय ध्वज का महत्व इसके रंग, इसकी पट्टियों या इसके अन्य भागों पर निर्भर नहीं करता । संपूर्ण ध्वज ही महत्वपूर्ण है और इसकी अन्य चीजें - रंग आदि तात्विक नहीं हैं । ध्वज सफेद कपड़े के टुकड़े का या किसी महत्वहीन वस्तु का हो सकता है किंतु जब इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बन जाता है । यह राष्ट्र की स्वतंत्रता की भावना का द्योतक हो जाता है ।'

अंगीकृत किया गया प्रस्ताव इस प्रकार है :-

> "यह संकल्प लिया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरिया, सफेद और गहरा रहे रंग का क्षैतिज तिरंगा होगा । सफेद पट्टी के केंद्र में चक्र प्रदर्शित करने के लिए गहरे नीले रंग का पहिया (चक्र) का डिजाइन उस चक्र के आकार का होगा जैसा अशोक के सिंह स्तंभ का शीर्षफलक है ।"

12. ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय ध्वज उस देश की पहचान सुनिश्चित करते हैं और राष्ट्रीयता की भावना का पोषण करते हैं, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं । उसके डिजाइन और रंगों में प्रत्येक राष्ट्र का विशिष्ट लक्षण सन्निहित होता है और देश के पृथक् अस्तित्व की उद्घोषणा करते हैं । अत: वास्तविक रूप से यह सभी राष्ट्रों के लिए एक सामान्य बात है कि राष्ट्रीय ध्वज का उनके लिए महत्व होता है । ध्वज के प्रति सम्मान और गरिमा उत्पन्न करने और उसे बनाए रखने के लिए अनेक राष्ट्रों ने इसे जलाने, फाड़ने और नष्ट करने के विरुद्ध बनाए गए नियमों के साथ ध्वज के प्रयोग, प्रदर्शन आदि से संबंधित नियम अधिकथित किए हैं । इस प्रक्रम पर हमें इस प्रश्न पर विचार करना है कि अन्य देशों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना कैसा समझा जाता है । हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि कितने देश अपने नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं । स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ध्वज की भूमिका के पूर्णत: प्रतिकूल कई देशों में ध्वज का प्रयोग वास्तव में सरकार का एकमात्र परमाधिकार बन गया है ।

विभिन्न देशों में ध्वज के प्रयोग पर निर्बंधन -

क्रम सं.	**देश का नाम**	**क्या व्यक्ति को राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करने की अनुज्ञा प्राप्त है**
1.	आस्ट्रेलिया	हां
2.	ब्राजील	हां
3.	कनाडा	हां
4.	चीन	हां, कतिपय अवसरों और स्थानों पर
5.	मिस्र	नहीं
6.	जर्मनी	नहीं
7.	इंडोनेशिया	नहीं
8.	इटली	नहीं
9.	जापान	नहीं
10.	मलेशिया	हां
11.	मैक्सिको	नहीं
12.	म्यांमार	नहीं
13.	न्यूजीलैंड	हां
14.	पाकिस्तान	नहीं
15.	श्रीलंका	नहीं
16.	स्वीडन	नहीं
17.	त्रिनिदाद और टोबेगो	नहीं
18.	यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)	नहीं

13. कनाडा और ब्राजील जैसे देश केवल इस शर्त के साथ व्यक्तियों को ध्वज के स्वतंत्र प्रयोग की अनुज्ञा प्रदान करते हैं कि ध्वज की गरिमा और सम्मान बनाए रखा जाए और इसे उचित ढंग से फहराया जाए और प्रदर्शित किया जाए । अमेरिका की ध्वज संहिता में नागरिकों द्वारा इसके स्वतंत्र प्रयोग को विनिर्दिष्टत: परिभाषित नहीं किया गया है । अमेरिका की ध्वज संहिता ध्वज को गरिमा के साथ फहराए जाने का समर्थन करती है और उसको सार्वजनिक रूप से फाड़े जाने या विरूपित किए जाने और पोशाक, खिलाड़ियों की वर्दी, गद्दों, रूमालों आदि के रूप में इसके प्रयोग को प्रतिषिद्ध करती है । यह कहते हुए कि ध्वज प्रत्येक दिन फहराया जाना चाहिए, ऐसे कतिपय दिवस विनिर्दिष्ट किए गए हैं जिन पर ध्वज विशेष रूप से फहराया जाना चाहिए । यूनाइटेड किंगडम में कतिपय तारीखों पर और विनिर्दिष्ट भवनों पर ध्वज

फहराया जाना निर्बंधित है । जापान में व्यक्तियों द्वारा ध्वज को स्वतंत्र रूप से प्रयोग को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे उपबंध हैं जो उसके प्रयोग की अनुज्ञा प्रदान करते हैं । उदाहरणार्थ, यह कहा गया है कि 'आप अपने कार्य के संबंध में अपने कारखाने या कंपनी में विदेशी अतिथियों को आमंत्रित करते होंगे । आप आदर-सत्कार, बैठकें, एक साथ खान-पान करते होंगे, ऐसी दशा में यदि स्वागत के लिए आप दूसरे देश के व्यक्ति के ध्वज के साथ अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहते हैं तो ...ध्वज के आकार आदि से संबंधित विनिर्देशों का पालन करना होगा' [जापान का राष्ट्रीय ध्वज (फहराने का मूल नियम) दृष्टव्य है] । भारत के पड़ोसी देशों में से पाकिस्तान केवल विनिर्दिष्ट दिवसों को, जैसा सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, राष्ट्रीय ध्वज का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने की अनुज्ञा प्रदान करता है । इसी प्रकार श्रीलंका केवल राष्ट्रीय महत्व के दिवसों को राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन करने की अनुज्ञा प्रदान करता है (राष्ट्रीय ध्वज समिति की रिपोर्ट, अप्रैल, 2001 पृष्ठ 14,15 दृष्टव्य हैं) ।

14. अन्यत्र राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में आस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय ध्वज को गरिमा के साथ फहराने का नियम के बाबत वस्तुत: यह उल्लेख किया जा सकता है कि सरकार यह आशा करती है कि सभी आस्ट्रेलियाई इसका सम्मान करेंगे और इसे गर्व के साथ इस प्रकार फहराएंगे जो राष्ट्रीय प्रतीक के अनुरूप हो । इसी भांति स्पष्ट देखने में आता है कि न्यूजीलैंड में भी ऐसा कोई विशेष दिवस विहित नहीं किया गया है, जिस पर व्यक्ति ध्वज फहरा सकें । वस्तुत: विनिर्दिष्ट रूप से यह कहा गया है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय ध्वज वर्ष के किसी भी दिवस पर फहराया जा सकता है । नियम का अभिप्राय ध्वज फहराने को आसान बनाने के मार्गदर्शक आधार विहित करना है और राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने का सही तरीका अधिकथित करना है । वस्तुत: न्यूजीलैंड में ध्वज का प्रयोग विज्ञापन और वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी किया जा सकता है, बशर्ते ध्वज के रंगों की सही प्रतिकृति के अनुसार हमेशा निष्ठा बनाए रखी जाए । चीन में ध्वज नववर्ष दिवस, बसंतोत्सव और सार्वजनिक स्थानों पर भी फहराया जा सकता है । मलेशिया में भी ध्वज लगभग सभी स्थानों पर लगे रहते हैं । 'मलेशियायी होना गर्व है' वे उत्कीर्णित राष्ट्रीय ध्वज वाले स्टिकरों का प्रयोग करते हैं ।

15. इस न्यायालय की कार्यवाहियों से यह दर्शित होता है कि इसमें के अपीलार्थी ने संविवाद तय किए जाने की दृष्टि से मामले में अनेक स्थगन लिए । अंतत:, अपीलार्थी द्वारा तारीख 18 अक्तूबर, 2000 को या इसके आस-पास गठित समिति ने अप्रैल, 2001 को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों से निम्नलिखित प्रश्नों के संबंध में विचार करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की :-

(क) क्या राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग को उदार बनाने की आवश्यकता है । यदि हां, तो किस सीमा तक ?

(ख) क्या राज्य सरकार को राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग को उदार बनाने में किसी समस्या के पूर्वानुमान का अनुमान है ?

(ग) यदि राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग को आम जनता के लिए उदार बनाया जाए, तो यह सुनिश्चित

करने के लिए कि ध्वज की गरिमा बनी रहे, किस प्रकार के युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करने होंगे ।

(घ) क्या भारत की ध्वज संहिता के उपबंधों को कानूनी समर्थन प्राप्त होना चाहिए ?

16. केंद्रीय सरकार द्वारा गठित समिति ने ध्वज के इतिहास और मूलाधार पर विचार किया और अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया :-

"3.1 प्राचीन काल से लोग अपने ध्वजों के लिए अपने प्राणों की आहुति देते रहे हैं । वास्तव में इस कपड़े के टुकड़े में, जिसे राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है, ऐसा कोई सम्मोहन है कि लोग इसके लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं । राष्ट्रीय ध्वज संपूर्ण राष्ट्र, उसके आदर्शों, आकांक्षाओं, उसकी आशाओं और उपलब्धियों का प्रतीक है । यह ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो लोगों को उनका अस्तित्व खतरे में पड़ने पर उनका मार्ग प्रशस्त करता है । खतरे की ऐसी घड़ी में कपड़े का यह छोटा सा टुकड़ा लोगों को अपनी छत के नीचे एकजुट होने की प्रेरणा देता है और उनका अपनी मातृभूमि के गौरव की रक्षा के लिए आह्वान करता है ।"

17. उक्त समिति की सिफारिशें मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गईं, जिसके उपरांत 2002 की भारत की ध्वज संहिता जारी की गई जो तारीख 26 जनवरी, 2002 को प्रवर्तन में आई ।

18. उक्त ध्वज संहिता को तीन भागों में विभाजित किया गया है । संहिता के भाग-1 में राष्ट्रीय ध्वज का वर्णन है । भाग-2 में जनता, प्राइवेट संगठनों, शिक्षा संस्थाओं आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने/प्रदर्शित करने/प्रयोग करने की रीति और ढंग का उपबंध है । संहिता के भाग-3 में केंद्र और राज्य सरकारों और उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने/प्रदर्शित करने का उपबंध है । राष्ट्रीय ध्वज संहिता के भाग-2 की धारा 1 के खंड 2.1 से अब यह स्पष्ट है कि आम जनता, प्राइवेट संगठनों, शिक्षा संस्थाओं आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर 1950 के अधिनियम और 1971 के अधिनियम और इस विषय पर अधिनियमित किसी अन्य विधि में उपबंधित सीमा के सिवाय कोई निर्बंधन नहीं होगा । राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के संबंध में पूर्वोक्त कानूनों को ध्यान में रखते हुए ध्वज संहिता में विनियम, जिनकी संख्या 13 है, अधिकथित किए गए हैं, जिनमें से एक इस प्रकार हैं :-

"(i) ध्वज का प्रयोग, संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के अतिक्रमण में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा ।"

19. भाग-3 की धारा 1 में रक्षा प्रतिष्ठानों/मिशन/चौकी मुख्यालयों के उपबंध है जबकि धारा 2 में ध्वज के शासकीय प्रदर्शन के लिए उपबंध है । भाग-2 की धारा 2 में यह उपबंध है कि शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज को किस प्रकार से फहराया जाए । भाग-3 की धारा 3 में उस रीति को अधिकथित किया गया कि सही ढंग से राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कैसे किया जाए और इसके विपरीत धारा 4 में गलत प्रदर्शन का उपबंध है । धारा 5 में यह उपबंध है कि राष्ट्रीय ध्वज के दुरुपयोग को किस प्रकार से रोका जाए । धारा 6 में ध्वज के

अभिवादन का उपबंध है । धारा 7 में यह उपबंध है कि अन्य राष्ट्रों और संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वजों के साथ राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाए ।

20. यद्यपि संविधान का निर्वचन प्राथमिकत: भारत में उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जाना चाहिए, फिर भी अन्य देशों के सुसंगत नियमों का उल्लेख हमारे मार्गदर्शन के लिए इस निर्णय में पूर्व में किया गया है ।

21. अत: यह कहा जा सकता है कि ब्राजील, कनाडा जैसे कुछ देश व्यक्तियों द्वारा ध्वज के अनिर्बंधित प्रयोग की अनुज्ञा प्रदान करते हैं । स्पेक्ट्रम के दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम जैसे देश अपने ध्वज को इतना पवित्र रखते हैं कि व्यक्तियों को ध्वज के प्रयोग और प्रदर्शन की अनुज्ञा नहीं है । अन्य सभी देश भी अपने देश के सनातन मूल्यों और अपने देश में ध्वज के विकास के इतिहास आदि पर आधारित दोनों ध्रुवों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं । अत:, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या व्यक्ति को भारत में ध्वज के प्रदर्शन का अधिकार है, यह देखना होगा कि ध्वज के स्वतंत्र रूप से प्रयोग के क्या फायदे और नुकसान हैं और भारत के स्वाधीनता संग्राम में ध्वज द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए जाने के साथ उनका संतुलन स्थापित करना होगा ।

22. ध्वज के स्वतंत्र रूप से प्रयोग को शासित करने वाली दो मुख्य विचारधाराएं हैं । एक ओर यह दलील दी जाती है कि अभी तक भारत की नीति यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि ध्वज का किसी भी प्रकार से अपमान न हो, राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग को निर्बंधित करने की रही है । ध्वज संहिता में दिए गए अनुदेशों का आशय यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय ध्वज का उचित सम्मान किया जाए और ध्वज का अंधाधुंध प्रयोग न हो । इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज का अधिक उदारतापूर्वक प्रयोग करने के लिए नागरिकों से अधिक जागरूकता की अपेक्षा की जाती है । इस मामले में अचानक उदार दृष्टिकोण अपनाए जाने से समस्याएं पैदा हो सकती हैं, विशेषकर यह सुनिश्चित करने के मामले में कि सामान्य नागरिकों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का सही प्रयोग किया जाए । राष्ट्रीय ध्वज के अनिर्बंधित प्रयोग से ध्वज का वाणिज्यिक रूप में अनुचित लाभ उठाया जा सकता है । ऐसे सभी दृष्टांतों का पता लगाना और आवश्यक कार्रवाई करना कठिन हो सकता है । ध्वज के अनिर्बंधित प्रयोग से नागरिक ऐसा सम्मान और आदर नहीं करेंगे जैसा अभी कर रहे हैं । राष्ट्रीय ध्वज के अनिर्बंधित प्रयोग से इसका प्रयोग जुलूसों, बैठकों आदि में अंधाधुंध होने लगेगा । विरोध स्वरूप राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की घटनाएं भी हो सकती हैं ।

23. दूसरी ओर लोगों का एक अन्य वर्ग भी है जो प्रबल रूप से यह विश्वास करता है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग की अनुज्ञा प्रदान किए जाने के अनेक ठोस कारण हैं, जिनमें कुछ ये हैं -

1. राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग और प्रदर्शन पर अधिरोपित विभिन्न निर्बंधनों के कारण लोगों की यह धारणा बन गई है कि मानो राष्ट्रीय ध्वज केवल सरकारी प्रयोग के लिए है और जनसाधारण को केवल कुछ सीमित अवसरों पर ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन की निर्बंधित अनुज्ञा प्राप्त है । इससे भारत के लोगों के कुछ वर्गों के बीच संभवत: असंतोष की भावना पैदा हो गई है ।

2. इलैक्ट्रानिक मीडिया और उपग्रह संचार के लोकप्रिय होने के कारण यह सुनिश्चित करना अत्यंत

कठिन हो गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का सार्वजनिक प्रदर्शन न हो । उदाहरणार्थ, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल-कूद या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन करके लोग स्वयं की पहचान अपने देश के साथ कराते हैं । यह गर्व की अभिव्यक्ति है । यह वास्तविक उत्साह की अभिव्यक्ति है । यदि राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग पर अधिरोपित निर्बंधनों का क्रियान्वयन नियमनिष्ठता के साथ किया जाता है, तो यह भारतीय नागरिकों या भारतीय राष्ट्रिकों को देश के ध्वज के साथ स्वयं की पहचान करने से हतोत्साहित करने के समान होगा ।

3. राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग पर अधिरोपित निर्बंधन विभिन्न लोकतांत्रिक देशों द्‌वारा अंगीकृत अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप होने चाहिए और सरकार को ऐसा कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करना चाहिए जो लोगों को राष्ट्रीय ध्वज से दूर करता हो ।

24. नागरिकों को ध्वज के अबाध और अनिर्बंधित प्रयोग की अनुज्ञा दी जाए या नहीं, पर दो बहुत ठोस विचारधाराएं हैं । अन्य देशों द्‌वारा जिन आधारों का अवलंब लिया गया, से निश्चित रूप से भारत में अब तक अपनाई गई और भविष्य में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है । इतिहास, जैसाकि संविधान सभा द्‌वारा किए गए विचार-विमर्श से बिल्कुल स्पष्ट है, इस बात का साक्षी है कि ध्वज निश्चित रूप से हमारे समय की एक सर्वाधिक सम्मानित वस्तु है । निश्चित ही इसका परम सम्मान किया जाना चाहिए । इसके प्रयोग पर कोई निर्बंधन अधिरोपित किए बिना यह संभव नहीं हो सकता । किंतु, विश्व परिदृश्य से यह देखा जा सकता है कि मुख्य रुझान ध्वज को विकृत होने, नष्ट होने आदि से संरक्षित रखना है, न कि व्यक्तियों को ध्वज का किसी प्रकार से प्रयोग करने से रोक कर । इसका प्रयोग अनन्यत: सरकार में निहित करना है । चूंकि सभी भारतीयों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, इसलिए उनकी स्वतंत्रता के प्रतीक उनके राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करने से उन्हें समग्रत: मना करने का आशय कदापि नहीं हो सकता । अत:, यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल आशय ध्वज को नष्ट करने, विकृत करने आदि के विरुद्ध उपबंधित करना और कतिपय आधारभूत नियम विहित करना है कि अनिवार्यत: कब और कैसे उसका (ध्वज का) प्रयोग किया जाए । यद्‌यपि अभिव्यक्तत: वर्णित नहीं किया गया है, फिर भी विनिर्दिष्ट अवसरों के अलावा यह नागरिकों को अधिकार नहीं देता ।

25. तब प्रश्न यह उठता है कि किस विचारधारा को स्वीकार किया जाए । राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत राष्ट्रत्व के पंथनिरपेक्ष प्रतीक हैं । यह राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता और निष्ठा तथा देश के प्रति देशभक्ति की सर्वोच्च सामूहिक अभिव्यक्ति के परिचायक हैं । संप्रभुता से सहबद्ध प्रतीक और कार्य होने के कारण ये संप्रभुता के आवश्यक सहायक लक्षण हैं । क्या कोई भारतीय नागरिक अन्य देशों में लागू विधि को ध्यान में रखते हुए उस देश में भारतीय ध्वज को फहरा सकता है या क्या कोई विदेशी भारत में अपने देश का ध्वज फहरा सकता है । यदि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है तो उससे यह आश्चर्यजनक निष्कर्ष निकलता है कि विदेश की यात्रा करने वाला भारतीय नागरिक भारत में नहीं बल्कि विदेश में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का हकदार होगा जबकि विदेशी को भारत के राज्यक्षेत्र में ऐसा करने का अधिकार होगा । भारत के

संविधान की रमणीयता यह है कि देश की संपूर्ण संरचना उसी पर आधारित है । यही वह स्तम्भ है जिस पर भारत का लोकतंत्र टिका हुआ है । यदि विविध दशाओं में भारत की एकता और अखंडता को समझना है, तो निष्ठा, प्रतिबद्धता और देशभक्ति की भावना का निर्धारण न केवल संविधानवाद को प्रभावी बनाते हुए, बल्कि उनके प्रकट पंथनिरपेक्ष प्रतीक को भी प्रभावी बनाते हुए किया जा सकता है । इस प्रश्न की प्रकृति पर विचार इस उत्तर से नहीं किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा कोई व्यक्त उपबंध है, जिस पर राष्ट्रीय ध्वज के फहराने का अधिकार निर्भर हो सकता है या ऐसे अधिकार के प्रयोग को प्रतिषिद्ध करने या मना करने वाला संविधान में ऐसा कोई उपबंध है । यदि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार संविधान या कानून की किसी अन्य पुस्तक में उसके किसी प्रत्याख्यान के अभाव में माना जाता है, तो इसे मूल अधिकार का भाग अभिनिर्धारित किया जा सकता है ।

26. आगे बढ़ने से पूर्व इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि क्या ध्वज संहिता 'विधि' है ? ध्वज संहिता में निश्चय ही केंद्रीय सरकार के कार्यपालिक अनुदेश हैं । यह कहा गया है कि गृह मंत्रालय, ध्वज संहिता के अनुदेशों को जारी करने के लिए सक्षम हैं और उससे संबंधित सभी मामले संविधान के अनुच्छेद 77 के निबंधनों के अनुसार विरचित भारत सरकार (कारबार का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उक्त मंत्रालय को आबंटित कारबार के मदों में से एक है । तथापि प्रश्न यह है कि क्या उक्त अनुदेश संविधान के अनुच्छेद 13 के अर्थान्तर्गत 'विधि' है । संविधान का अनुच्छेद 13(3)(क) इस प्रकार हैं :-

> "13(3)(क) - 'विधि' के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है ।"

27. उक्त उपबंध के परिशीलन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि कार्यपालिक अनुदेश उपरोक्त प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आते । ऐसे कार्यपालिक अनुदेशों का किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए विधि का बल प्राप्त हो सकता है ; उदाहरण के लिए ऐसे अनुदेश, जो संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (1) के निबंधनों के अनुसार विधायी शक्ति के पूरक के रूप में जारी किए गए हैं । उक्त प्रश्न के अवधारण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि संसद ने ऐसे कानून को अधिनियमित नहीं किया, जो भारत के नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कानूनी अधिकार प्रदान करता हो । इसमें के अपीलार्थी द्वारा जारी कार्यपालिक अनुदेश के स्थान पर किसी भी समय दूसरा कार्यपालिक अनुदेश रखा जा सकता है और इस प्रकार भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने से वंचित किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त ऐसा प्रश्न तभी उठेगा यदि यह अभिनिर्धारित किया जाए कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अर्थांतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मूल या नैसर्गिक अधिकार है, यद्यपि अनुच्छेद 19(1)(क) से (ङ) और (छ) के अधीन प्रत्याभूत स्वातंत्र्य के अधिकार के प्रयोग को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ कानून बनाया जाए ।

28. **खड़क सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :-

> "यद्यपि प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने अभिकथित किया कि उन्होंने भारतीय पुलिस अधिनियम

---

[1] ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1295.

की धारा 12 का अवलंब लेते हुए ऐसे किसी न्यायोचित्य को सही ठहराने का प्रयास छोड़ दिया है और साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि अध्याय 20 में समाविष्ट विनियमों का कोई कानूनी आधार नहीं है बल्कि वे मात्र कार्यकारी या विभागीय अनुदेश हैं जिनको पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के प्रयोजनार्थ विरचित किया गया है । अत: वे अनुदेश 'विधि' के अंतर्गत नहीं आते जिसको अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) के सुसंगत खंडों के अधीन अधिनियमित करने का अधिकार राज्य को होता है ताकि अनुच्छेद 19 के विभिन्न उपखंडों द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों को विनियमित किया जा सके या उनमें कटौती की जा सके और न ही यह अनुच्छेद 21 के अर्थान्तर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी । अत: जो स्थिति उत्पन्न होती है, वह यह है कि यदि पुलिस, जो राज्य की कार्यपालिका का अंग है, द्वारा की गई कार्रवाई याची को प्रत्याभूत स्वातंत्र्य का अतिलंघन करने वाली कार्रवाई के रूप में पाई जाती है, तो याची परमादेश के अनुतोष का हकदार होगा, जिसके अंतर्गत वह राज्य को विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई करने से प्रतिषिद्ध किए जाने की ईप्सा करता है ।"

29. **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य** बनाम **ठाकुर भारत सिंह**[1] और **इमेनुअल और अन्य** बनाम **केरल राज्य और अन्य**[2] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का यही आशय है ।

30. **सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन** बनाम **भारत संघ**[3] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया :-

"संविधान लोगों की 'इच्छा' हैं जबकि कानूनी विधियां उन विधायकों के सृजन हैं जो लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं । जहां कानूनों में घोषित विधानमंडल की इच्छा संविधान में घोषित लोगों की इच्छा के प्रतिकूल हो, वहां लोगों की इच्छा अभिभावी होगी ।"

31 **पुनीत राय** बनाम **दिनेश चौधरी**[4] वाले मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गैर अनुसूचित जाति के हिंदू पिता और अनुसूचित जाति की माता से उत्पन्न बच्चे की जाति अवधारण से संबंधित परिपत्र का कानूनी प्रभाव नहीं होगा और यह कहा :-

"राज्य द्वारा उक्त परिपत्र संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए नहीं जारी किया गया है । इस परिपत्र में यह नहीं कहा गया है कि विनिश्चय मंत्रिमंडल या संविधान के अनुच्छेद 166(3) के निबंधनों के अनुसार इस संबंध में प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया है । यह सर्वमान्य है कि परिपत्र एक प्रशासनिक अनुदेश होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 13 के अर्थातर्गत विधि नहीं है [द्वारका नाथ तिवारी **बनाम** बिहार राज्य - ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 249

---

[1] ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1170.

[2] (1986) 3 एस. सी. सी. 619.

[3] संघ(1993) 4 एस. सी. सी. 441.

[4] (2003) 8 एस. सी. सी. 204.

वाला मामला दृष्टव्य है] ।"

32. अब हम मुख्य प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या राष्ट्रीय ध्वज फहराना मूल अधिकार है ?

33. संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के उपबंध है । संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा भारत के नागरिकों को स्वातंत्र्य अधिकार प्रत्याभूत किए गए हैं । उक्त अधिकार का खंड (क) वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के विषय में है । तथापि, ऐसा मूल अधिकार आत्यंतिक नहीं है । यह खंड (2) में अंतर्विष्ट विनियामक उपबंधों के अध्यधीन है जो इस प्रकार हैं :-

> "(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मंत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन, जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, वहां तक, उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ।"

34. अनुच्छेद 19 में विनिर्दिष्ट अधिकार राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध प्रवर्तित होते हैं । यह सर्वमान्य है कि अनुच्छेद 19 के अधीन भारत के नागरिक को अनुदत्त अधिकारों को अलग नहीं माना जा सकता क्योंकि भाग-3 में अधिकारों का समामेलन है और इस लिए संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के अधीन आने वाली विधि को संविधान के भाग-3 के अन्य अनुच्छेदों, जैसेकि अनुच्छेद 14 और 19 की अपेक्षाओं को संतुष्ट करना होगा ।

35. पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर के लिए हमें : राष्ट्रीय ध्वज का महत्व ; (2) संविधान सभा बहस और अन्य देशों में विद्यमान नियम, जिनका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है, पर भी विचार करना आवश्यक था । जैसाकि ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट है, राष्ट्रीय ध्वज फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत आएगा ।

36. **विक्टर चान्डलर इंटरनेशनल** बनाम **सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क आयुक्त और एक अन्य**[1] वाले मामले में यह कहा गया :-

> "27. वस्तुत: विधान में कुछ कमियां हैं जिन्हें न्यायाधीश द्वारा बनाई गई विधि द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता । किंतु अब यह कानूनी अर्थान्वयन का ज्ञात नियम है कि 'लागू' कानूनी उपबंध को 'सतत् सजीव' माना जाना चाहिए । यह सिद्धांत **बेनियोन स्टेट्यूटरी इंटरप्रेटेशन** (तृतीय संस्करण, 1997) के पृष्ठ 686 पर उपवर्णित है ।
>
> (2) यह उपधारणा की जाती है कि संसद् न्यायालय से यह आशा करती है कि न्यायालय लागू

[1] (2000) 2 आल इंग्लैंड ला रिपोर्ट्स 315.

अधिनियम का ऐसा अर्थान्वयन करे, जो सतत् रूप से अपनी भाषा में नवीनतम शब्दों का प्रयोग करे जिससे परिवर्तन संभव हो क्योंकि आरंभ में अधिनियम की विरचना की गई थी (अद्यतन अर्थान्वयन) । जब तक यह विधि प्रभावी रहती है, तब तक इसे सदैव सजीव माना जाना चाहिए । ...(3) नियमित रूप से लागू अधिनियम को उसी प्रकार से लागू किया जाना आशयित है, चाहे इसके पारित होने के उपरांत कितने भी परिवर्तन क्यों न हो गए हों । अत: इसका अद्यतन अर्थान्वयन लागू नहीं होता ।

28. इन सिद्धांतों को आर. **बनाम** वेस्टमिनिस्टर सिटी कौंसिल [एक्स पी. ए. (1997) 9 एडमिनिस्ट्रेटिव ला रिपोर्ट्स 504 (पृष्ठ 509 पर)] वाले मामले में कोर्ट आफ अपील ने अनुमोदित किया जिसमें लार्ड वोल्फ एम. आर. ने राष्ट्रीय सहायता अधिनियम, 1948 का इस प्रकार उल्लेख किया -

> ऐसा अधिनियम जो 'सतत् सजीव' है और जिसका अर्थान्वयन करने पर ऐसा ही अर्थ निकलता हो, का यह प्रमुख लक्षण है कि अपनी भाषा द्वारा परिवर्तनों की गुंजाइश कर अद्यतन होता है क्योंकि अधिनियम की आरंभ में विरचना की गई थी ।"

37. सजीव होने के कारण संविधान का निरंतर निर्वचन अनुज्ञेय है । कालांतर के कारण राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना आवश्यक है ।

38. संविधान का निर्वचन एक कठिन कार्य है । ऐसा करते समय संविधान न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल कालांतर से प्राप्त हुए अनुभव, अंतरराष्ट्रीय शोधग्रंथों और प्रसंविदाओं पर विचार करें, बल्कि सुनम्यता के सिद्धांत पर भी विचार करें । इस न्यायालय ने अनेकों बार संविधान के निर्माताओं के आशय और तात्पर्य, जैसाकि संविधान के भाग-4 और 4-क में प्रतिबिम्बित है, समेत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मूल अधिकारों के उपबंधों की व्याप्ति और सीमा को विस्तृत किया है ।

39. आस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का कोई उपबंध नहीं है । वास्तव में आस्ट्रलिया के संविधान में सिवाय कतिपय व्यक्तिगत अधिकारों के, जैसेकि ज्यूरी द्वारा विचारण का अधिकार (धारा 80) और धर्म के स्वातंत्र्य का अधिकार (धारा 116) स्वातंत्र्य के व्यक्तिगत अधिकारों की कोई ऐसी सूची नहीं है जिसका प्रवर्तन न्यायालयों द्वारा कराया जा सके । इसके बावजूद आस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने 1992 से यह उपदर्शित किया कि नागरिकों को राजनैतिक और सरकार से संबंधित मामलों पर वाक् स्वातंत्र्य और संसूचना का विवक्षित अधिकार प्राप्त है, उदाहरण के लिए राजनीतिक संसूचना के विवक्षित स्वातंत्र्य के रूप में निर्वाचन के विशेष प्रचार के दौरान राजनैतिक विज्ञापनों की अनुज्ञा ।

40. इस संबंध में हम आस्ट्रेलिया की कुछ निर्णयज विधियों का उल्लेख करते हैं :

लेवी बनाम **स्टेट आफ विक्टोरिया और लैंज** बनाम **आस्टेलिया ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन**[1] वाले मामले में एन्नी टामे ने यह कहा :-

---

[1] सिडनी ला रिव्यू खंड 1, सं. 1, मार्च 1997.

"राजनैतिक संसूचना के स्वातंत्र्य की संवैधानिक विवक्षा की मान्यता आस्ट्रेलिया में अभी हाल में ही मिली लेकिन यह तीन पीढ़ियों से द्रुतगति से विकसित हो रही थी । इसे 1992 के आरंभ में इन आधारों पर मान्यता प्रदान की गई कि यह प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक थी, जो राष्ट्रमंडल संविधान के पाठ और संरचना के द्‌वारा अधिष्ठित हैं । वर्ष 1994 में इस विवक्षा के उपयोजन को थियोफनस **बनाम** हेराल्ड एंड वीकली टाइम्स लि. और स्टीफेंस **बनाम** वेस्ट आस्ट्रेलियन न्यूजपेपर्स लि. वाले मामलों में राज्य मानहानि विधियों, कानून और सामान्य विधि दोनों को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत किया गया था । तथापि, 1996 में उच्च न्यायालय इस विवक्षा की सीमा के निर्वचन और भावी विवक्षा के विकास, जो प्रतिनिधि सरकार की संवैधानिक प्रणाली पर निर्भर है, अधिक संयमित रहा है ।"

दि स्टेट आफ प्ले इन दि कांस्टीट्यूशनेली इम्पलाइड फ्रीडम आफ पोलिटिकल डिस्कशन एंड बेन्स ऑन इलेक्टोरल कैनवेसिंग इन आस्ट्रेलिया में जार्ज विलयम्स संसदीय विधि पुस्तकालय और विल डाइजेस्ट ग्रुप रिसर्च पेपर 10, 1997 में यह मत व्यक्त किया गया :-

"आस्ट्रेलिया में राजनैतिक विचार-विमर्श के लिए संरक्षण को मजबूती प्रदान किए जाने के लिए और न्यायिक कार्रवाई के बावजूद कतिपय राजनैतिक भाषण को निर्बंधित किए जाने के लिए राजनैतिक कार्यवाही की गई । ऐसा प्राय: राज्य और फेडरल दोनों स्तरों पर संसदीय समितियों द्‌वारा की गई जांच द्‌वारा किया जाता है । ...क्या इसका यह अर्थ है कि आस्ट्रेलिया की संसद् और उच्च न्यायालय निर्वाचन प्रक्रिया में वाक् स्वातंत्र्य के संबंध में टकराव की स्थिति में है ? निश्चित ही इसका उत्तर हां में नहीं है ।"

आस्ट्रेलियन कैपिटल टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड बनाम **राष्ट्रमंडल** (राजनैतिक प्रसारण वाला मामला) और **नेशनवाइड न्यूज प्राइवेट लिमिटेड** बनाम **विल्स** (राष्ट्रव्यापी समाचार वाला मामला) वाले मामलों में उच्च न्यायालय के विनिश्चय आस्ट्रेलिया की संवैधानिक विधि में विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण विकास का संकेत देते हैं क्योंकि उच्च न्यायालय राजनैतिक मामलों के संबंध में संसूचना की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करता है ।

41. 1988 के ब्राजील के संविधान का अनुच्छेद 5 यह प्रत्याभूत करता है कि 'विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और बौद्धिक, कलात्मक, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति और संसूचनात्मक क्रियाकलाप, सेंसरशिप या अनुज्ञप्ति से मुक्त है' और 'व्यक्तियों की एकांतता, निजी जीवन, सम्मान और प्रतिष्ठा अलंघनीय है और उनके अतिक्रमण से उद्भूत सांपत्तिक या नैतिक नुकसान के लिए प्रतिकर का अधिकार सुनिश्चित है ।'

42. वेनेजुएला के संविधान में वाक् स्वातंत्र्य का अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 के अधीन 'अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य' की व्यापक परिभाषा पर आधारित है जो न केवल 'राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' अपितु 'बे-रोकटोक किसी मीडिया द्‌वारा सूचना और विचार की ईप्सा करने, प्राप्त करने और प्रदान करने' के अधिकार का भी प्राख्यान करता है ।

43. कनाडा के चार्टर की धारा 2(ख) में यह अधिकथित है कि 'प्रत्येक व्यक्ति को प्रेस और संसूचना के

अन्य माध्यमों की स्वतंत्रता समेत विचार, विश्वास, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है ।' यह धारा संभवत: वाणिज्यिक अभिव्यक्ति से राजनैतिक अभिव्यक्ति तक और पत्रकारितागत विशेषाधिकार से अश्लील साहित्य के घृणाजनक भाषण तक के व्यापक कार्यकलापों पर लागू हो सकती है । कनाडा के उच्चतम न्यायालय को विधिशास्त्र की पहली धारा 2(ख) कि वह किन मूल्यों को संरक्षण प्रदान करनी चाहती है ; इसके संरक्षण के हकदार कौन हैं, का प्रयोजन ; और दूसरी धारा 2(ख) 'अभिव्यक्ति' क्या है की व्याप्ति को उचित ठहराने का अत्यधिक प्रयास किया गया है ।

44. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र के कार्यकरण की आधारशिला है । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कतिपय मूल्यों को बढ़ावा देती है जैसाकि प्रोफेसर इमरसन ने वर्ष 1963 में यह उल्लेख किया कि 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुरक्षण -(1) व्यक्तिगत स्वत:पूर्ति सुनिश्चित करने ; (2) सत्य का पता लगाने के साधन ; (3) राजनैतिक विनिश्चय करने समेत समाज के सदस्यों द्वारा समाज में सहभागिता सुनिश्चित करने के उपाय ; और (4) समाज में स्थायित्व और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है ।' वाक् स्वातंत्र्य की सांविधानिक प्रतिबद्धता इस विश्वास पर प्राख्यापित है कि स्वतंत्र समाज ऐसी विचारधारा, जो विरोधी दृष्टिकोण रखने वालों का दमन करने और सेंसर की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रेरित हैं, का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के हाथों में प्रपीड़क विधिक सेंसरशिप से कार्य नहीं कर सकती ।

45. कनाडा का अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य दृष्टिकोण धारा 2(ख) के अर्थान्तर्गत 'अभिव्यक्ति' संकल्पना का व्यापक अर्थ प्रदान करता है । कनाडा के उच्चतम न्यायालय का कहना है कि चार्टर की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए गारंटी के निर्वचन के व्यापक और समावेशित दृष्टिकोण को अधिमान दिया जाना चाहिए । [**फोर्ड** बनाम **क्यूबेक**[1] और **इरविन ट्वाय** बनाम **क्यूबेक (महान्यायवादी)**[2] वाले मामले दृष्टव्य हैं] अत: **इरविन ट्वाय** वाले मामले में मुख्य न्यायमूर्ति डिक्सन ने स्पष्ट किया कि 'अभिव्यक्ति' में अंतर्वस्तु और प्ररूप दोनों सम्मिलित हैं और दोनों जटिल रूप से गुथे हो सकते हैं । क्रियाकलाप तब अर्थपूर्ण हो जाता है, यदि उसके द्वारा सार्थकता का प्रयास किया जाता है । अर्थ उसकी अंतर्वस्तु है । इसमें न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाविष्ट है अपितु अभिव्यक्ति न करने की भी स्वतंत्रता समाविष्ट है । जैसाकि न्यायमूर्ति **बीट्ज** ने **नेशनल बैंक आफ कनाडा** बनाम **आर. सी. यू.**[3] वाले मामले में कहा है : 'चार्टर की धारा 2 द्वारा प्रत्याभूत सभी स्वतंत्रताओं का आशय निश्चय ही पारस्परिक अधिकार ...अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अंतर्गत अभिव्यक्ति न करने का अधिकार है ।'

46. कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने इंगित किया है कि वस्तुत: वाक् स्वातंत्र्य और स्वातंत्र्य गारंटी

---

[1] (1988) 2 एस. सी. आर. 90.

[2] (1989) 1 एस. सी. आर. 927.

[3] (1984) 1 एस. सी. आर. 269.

की अपनी सीमाएं हैं (**सी. बी. सी.** बनाम **ए. जी. एन. बी.**[1] वाला मामला दृष्ट्व्य है), उदाहरण के लिए यद्यपि प्रेस को अभिगम और प्रकाशन के मूल संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं फिर भी उसे सभी परिचालन संबंधी साधनों और तरीकों के प्रति संरक्षण प्राप्त नहीं हैं, जिसे वे अपनाना चाहें । उदाहरण के लिए प्रेस को ऐसी उन्मुक्ति नहीं प्राप्त है कि वे 'प्रेस की स्वतंत्रता' के बहाने नए समाचार के अनुसरण में किसी राहगीर को नीचे धकेल दें । न ही किसी व्यक्ति पर हिंसात्मक हमले को, चाहे वह हमला नाटकीय ही क्यों न हो, अभिव्यक्ति माना जा सकता है । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझने के लिए न केवल कनाडा के संविधान में उसकी स्थिति को समझना बल्कि उसको समाज और समाज के प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों के संदर्भ में समझना भी अपेक्षित है ।

47. इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अर्थों को भी व्यापक बनाया है (**जगदीश सरन और अन्य** बनाम **भारत संघ**[2] वाला मामला दृष्टव्य है) ।

48. ऐसे अनेक विनिश्चय हैं, जिनमें इस न्यायालय ने यह अर्थ निकाला कि संविधान के अनुच्छेद 21 में विभिन्न अधिकार समाविष्ट हैं ।

49. इस न्यायालय ने संविधान के भाग-4 में अंतर्विष्ट राज्य की नीति के निदेशक तत्व या भाग-4-क में समाविष्ट मूल कर्तव्य या दोनों के प्रकाश में संविधान के उपबंधों का भी निर्वचन किया । उपरोक्त कसौटी को लागू करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक आत्यंतिक अधिकार नहीं है अपितु यह एक सापेक्ष अधिकार है, ऐसे अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 51-क को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जा सकता है ।

50. **पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज़ और एक अन्य** बनाम **भारत संघ और एक अन्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :-

> "....यह स्थापित है कि मूल अधिकारों में स्वयं कोई नियत विषय-वस्तु नहीं होती, उनमें से अधिकांश खाली पात्र हैं जिसमें प्रत्येक पीढ़ी को अपने अनुभव के आलोक में अपनी विषय-वस्तु भरना होगा । न्यायालय का यह प्रयास होना चाहिए कि न्यायिक निर्वचन की प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों की पहुंच और परिधि का विस्तार हो । संविधान को नवीनतम क्रियाशील और सजीव रखा जाना अपेक्षित है ।"

51. पासपोर्ट रखने के अधिकार को भी संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाग अभिनिर्धारित किया गया (**मेनका गांधी** बनाम **भारत संघ**[4] वाला मामला दृष्टव्य है) । संविधान के अनुच्छेद 21 के अर्थांतर्गत पारिस्थितिकीय संतुलन में विघ्न को प्राण के लिए घातक अभिनिर्धारित किया

---

[1] (1991) 3 एस. सी. आर. 459.

[2] (1980) 2 एस. सी. सी. 768.

[3] (2003) 4 एस. सी. सी. 399.

[4] (1979) 1 उम. नि. प. 243 = ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 597 = (1978) 1 एस. सी. सी. 248.

गया है (**एम. सी. मेहता** बनाम **कमल नाथ**[1] वाला मामला दृष्टव्य है) ।

52. संविधान के अनुच्छेद 14 के विभिन्न पहलुओं की चर्चा अनेक निर्णयों में की गई है । समता के सिद्धांत की विस्तृत संकल्पना को **ई. पी. रायप्पा** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[2] वाले मामले में व्यक्त किया गया है जिसका अनुसरण **मेनका गांधी** बनाम **भारत संघ** (उपरोक्त), **आर. डी. शेट्टी** बनाम **भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण**[3], **अजय हासिया** बनाम **खालिद मुजीब**[4] और **नीलिमा मिश्रा** बनाम **हरिंदर कौर**[5] वाले मामलों में किया गया है ।

53. जहां तक वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य और सेंसर तथा उसके अन्य विनियमों की तुलना का संबंध है, इस न्यायालय ने **कामेश्वर प्रसाद** बनाम **बिहार राज्य**[6] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया :-

> "भाषा की बारीकियों पर विचार किए बिना मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रदर्शन एक व्यक्ति या एक समूह की भावनाओं के संवेगों का दृश्यमान प्रकटन है । इस प्रकार एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे व्यक्ति को, जिसे वह पहुंचाना चाहता है, को संसूचना है । अत: वस्तुत: यह वाक् या अभिव्यक्ति का माध्यम है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि वाक् सस्वर हो जैसाकि गूंगे व्यक्ति द्‌वारा किया गया संकेत भी वाक् का एक माध्यम है ।"

54. **एल. आई. सी.** बनाम **प्रोफेसर मनूभाई डी. शाह**[7] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया :-

> "5. वाणी मानव जाति के लिए ईश्वर का उपहार है । मनुष्य अपनी वाणी से दूसरों तक अपने विचार, भावनाएं और संवेग संप्रेषित करता है । इस प्रकार वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य एक नैसर्गिक अधिकार है जो मनुष्य को जन्मजात मिल जाता है । इसलिए यह मानव का एक मूल अधिकार है । प्रत्येक को राय और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार है । इस अधिकार के अंतर्गत बिना हस्तक्षेप अपनी राय बनाने की स्वतंत्रता तथा किसी भी मीडिया के माध्यम से और बिना किसी पाबंदी के सूचना और विचार की ईप्सा करना और दूसरों को देना भी सम्मिलित है ।
>
> 6. सांविधानिक उपबंध कभी स्थिर नहीं रहता । वह हमेशा विकासमान और गतिशील रहता है । अत: उसमें संकीर्ण, पांडित्यदर्शी और न्यायबद्ध विचारधारा की कोई गुंजाइश नहीं होती । यदि अमेरिकी

---

[1] (2000) 6 एस. सी. सी. 213.
[2] ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 555.
[3] ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1628.
[4] ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 487.
[5] (1990) 2 एस. सी. सी. 746.
[6] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1166.
[7] (1992) 3 एस. सी. सी. 637.

न्यायालय ऐसी विचारधारा अपना लेते तो प्रथम संशोधन - (1971) - 'कांग्रेस वाक्-स्वातंत्र्य को या प्रेस स्वातंत्र्य को न्यून करने वाली विधि नहीं बनाएगी' - समसामयिक स्थिति में ही लागू होता है और प्रकाशन मीडिया के रूपांतरण के फलस्वरूप परिवर्तित स्थिति की मांग पूरी नहीं करता । न्यायालय द्वारा अंगीकृत व्यापक विचारधारा ने उन्हें प्रेस स्वतंत्रता की सतत् विस्तारशील धारणाओं की रूपरेखा की रचना करने में समर्थ बनाया । **डेनिस** बनाम **संयुक्त राज्य अमेरिका** [341 यू. एस. 494 = लायर्स एडिशन 1137 (1951)] में न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर ने यह मत व्यक्त किया -

> '....प्रथम संशोधन की भाषा शब्दकोश में दिए गए कोरे शब्दों के रूप में नहीं पढ़ी जाएगी बल्कि उन लोगों के, जिन्होंने उसका प्रयोग किया, पूर्वानुमानों से प्राप्त ऐतिहासिक अनुभव के रूप में पढ़ी जाएगी ।'

जोसफ बर्सटिन इंक **बनाम** विल्सन (343 यू. एस. 495) वाले मामले में इस विचारधारा को अपनाते हुए न्यायालय ने म्युचुअल फिल्म कारपोरेशन **बनाम** इंडस्ट्रियल कमीशन आफ ओहयो (236 यू. एस. 230) वाले मामले में इसके प्रतिकूल अपनी पूर्ववर्ती अवधारणा को अस्वीकार कर दिया और यह निष्कर्ष निकाला कि चलचित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रथम संशोधन के संरक्षण के अंतर्गत है । इस प्रकार न्यायालय ने उस उपबंध की भाषा का उदार अर्थान्वयन करके प्रथम संशोधन का क्षेत्र विस्तृत कर दिया । इस प्रकार यह प्रकट होता है कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने सांविधानिक उपबंधों का इस प्रकट कारणवश उदार निर्वचन किया कि संविधान को सतत् बदलते समाज की जरूरतों को पूरा करना होगा ।

7. भारतीय न्यायालयों के विनिश्चयों में भी यही प्रवृत्ति देखी जा सकती है । यह प्रशंसनीय है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार उसके भाग-3 में परिलक्षित किए गए हैं जो उन मूलभूत मूल्यों को दर्शाते हैं जिन्हें भारत के लोग उस समय मानते थे जब उन्होंने स्वाधीन भारत के लिए संविधान आत्मार्पित किया । ऐसा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया था कि उनके सम्मान, गरिमा और आत्मसम्मान को स्वाधीन भारत में संरक्षण मिलेगा । उन्होंने औपनिवेशिक शासन के दौरान प्राधिकारियों के बर्ताव से कटु सबक सीखा था । अत: वे कोई भी गुंजाइश छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे । अत: उन्होंने इसे महत्वपूर्ण माना और संविधान में मूल अधिकारों के रूप में अधिकार पत्र (बिल आफ राइट्स) का समावेश करके विनिर्दिष्ट बुनियादी मानव अधिकारों को संरक्षित किया । आशय यह था कि ये मूल अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएंगे । वे मोटे तौर पर अंकित किए गए और न्यायालयों द्वारा उनके विस्तार की गुंजाइश रखी गई । ऐसा आशय संविधान निर्माताओं पर आरोपित करना होगा क्योंकि स्वयं उन्होंने सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए संविधान में ऐसे उपबंध निर्मित किए थे । अत: यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि मूल अधिकारों का प्रारूपण करते समय संविधान निर्माताओं ने व्यापक दर्शन का समावेश किया था ताकि वे बदलते समाज की जरूरतों को पूरा कर सकें ....।

8. इसलिए 'वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य' शब्दों का अर्थ इस प्रकार से व्यापक रूप में किया जाना चाहिए कि इसके अंतर्गत मौखिक शब्दों या लिखित शब्दों या दृश्य-श्रव्य परिकरणों के माध्यम

द्वारा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित हो । अत: इसके अंतर्गत प्रकाशन मीडिया या किन्हीं अन्य संचार साधनों अर्थात् रेडियो और दूरदर्शन से अपने विचारों का प्रचार-प्रसार करने का अधिकार भी शामिल है । अत: इस स्वतंत्र देश के प्रत्येक नागरिक को प्रकाशन और/या इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है । परंतु नि:संदेह रूप से संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अधीन अधिकथित युक्तियुक्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं । प्रकाशन मीडिया, रेडियो और दूरदर्शन जनशिक्षक का काम करते हैं, जो स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए बहुत लाभदायक है । किसी किसी के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की जीवन रेखा होती है और इस अधिकार को यदि दबाने, दबोचने या अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया, तो लोकतंत्र धराशायी हो जाएगा तथा निरंकुश शासन या तानाशही शासन के लक्षण का सूत्रपात हो जाएगा ।”

55. उपरोक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि एल. आई. सी. द्वारा प्रत्यर्थी के प्रत्युत्तर को प्रकाशित करने से मना किया जाना अनुचित था और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन उसके अधिकारों को मना करने के समान था ।

56. **सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** बनाम **बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन और अन्य**[1] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि-

“वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना पाने और इसे प्रचारित करने का अधिकार सम्मिलित है । वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य आत्माभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है और स्वस्थ अंत:करण और स्वत:पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है । यह लोगों में सामाजिक और नैतिक विषय बिंदुओं पर विचार-विमर्श बढ़ाता है । यह किसी भी कार्य को करने का सर्वोत्तम प्रतिमान प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है क्योंकि इसके द्वारा ही यथासंभव विस्तृत विचार परिचालित हो सकता है । यह राजनैतिक विचार-विमर्श का एकमात्र साधन है जो लोकतंत्र के लिए अतिआवश्यक है । सभी प्रकार के कलात्मक और अध्ययनशील प्रयासों को सुकर बनाने में निभाई गई उसकी भूमिका भी समान रूप से महत्वपूर्ण है ।

45. निर्बंधनों को न्यायोचित ठहराने का भार प्राधिकारी पर है । लोक व्यवस्था और लोक सुरक्षा एक जैसी बात नहीं है और इसलिए इस आधार पर जिससे लोक सुरक्षा को खतरा हो, पर वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकारों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जा सकता । जैसाकि अमेरिका के संविधान में भी उपबंधित है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अधीन असामान्य मूल अधिकारों पर परिसीमाएं विनिर्दिष्टत: उपवर्णित हैं । इस प्रकार अनुच्छेद 19(2) में विनिर्दिष्ट आधारों के सिवाय वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जा सकता ।”

---

[1] (1995) 2 एस. सी. सी. 161.

57. वायु तरंगों और अन्यथा द्वारा सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) द्वारा प्रत्याभूत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की प्रजाति है ।

58. **इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में विधि को निम्नलिखित निबंधनों के अनुसार अधिकथित किया गया :-

> "जैसा कि विद्वान् लेखकों ने मत व्यक्त किया है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के चार व्यापक सामाजिक प्रयोजन हैं, जिनकी उसे पूर्ति करनी होती है - (i) यह व्यक्ति को आत्मपूर्ति अभिप्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है, (ii) यह सच्चाई का पता चलाने में सहायता प्रदान करता है, (iii) यह निर्णय लेने में सम्मिलित होने में किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को प्रबल बनाता है, और (iv) यह एक ऐसे तंत्र की व्यवस्था करता है, जिसके द्वारा स्थिरता तथा सामाजिक परिवर्तन के बीच युक्तियुक्त संतुलन स्थापित हो सके । समाज के सभी सदस्यों को इस योग्य चाहिए कि वे अपने स्वयं के विश्वास का निर्माण कर सकें और उस विश्वास के बारे में समाज के अन्य सदस्यों को स्वतंत्रतापूर्वक संसूचित करें । सारांश यह है कि यहां अंतर्वलित मूल सिद्धांत जानकारी प्राप्त करने संबंधी जनता का हक है । इसलिए वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य को उन सभी व्यक्तियों से उदार समर्थन मिलता है, जो प्रशासन में लोगों के सम्मिलित होने में विश्वास रखते हैं ।"

59. अत: न्यूजप्रिंट पर अधिरोपित आयात शुल्क के भार को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) द्वारा संरक्षित निर्बंधन अभिनिर्धारित किया गया ।

60. **टाटा प्रेस लि.** बनाम **महानगर टेलीफोन निगम लि. और अन्य**[2] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया :-

> "लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक सूचनाओं का मुक्त आदान-प्रदान अपरिहार्य है । विज्ञापनों द्वारा प्रसारित सूचना द्वारा शिक्षित किए बिना सर्वसाधारण ईमानदारीपूर्ण और मितव्ययी विपणन नहीं कर सकता । 'वाणिज्यिक वाक् स्वातंत्र्य' के बिना लोकतंत्र में आर्थिक प्रणाली अक्षम है ।"

61. इस प्रकार, वाणिज्यिक वाक् स्वातंत्र्य को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन प्रत्याभूत वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का भाग अभिनिर्धारित किया गया है ।

62. **बेनेट कोलेमन एंड कंपनी** बनाम **भारत संघ और अन्य**[3] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया :-

> "80. नागरिक का विश्वास यह है कि विचारों के निर्बाध आदान-प्रदान में राजनैतिक बुद्धिमत्ता और नैतिक साधुता तभी तक संभव रह सकेगी जब तक विचारों के फैसले के रास्ते खुले रहें । जनप्रिय

---

[1] (1985 1 उम. नि. प. 615 = (1985) 1 एस. सी. सी. 641.

[2] (1995) 5 एस. सी. सी. 139.

[3] (1973) 1 उन. नि. प. 527 = (1972) 2 एस. सी. सी. 788.

सरकार में आस्था इस पुरानी उक्ति पर निर्भर है 'जनता को सच्चाई तक पहुंचने दीजिए तथा उसे सच्चाई पर विचार-विमर्श करने की स्वतंत्रता दीजिए तो सब ठीक हो जाएगा ।' हर लोकतंत्र में प्रेस स्वातंत्र्य ही 'आर्ट आफ दि कोवनेंट' हैं । इस्पात से इस्पात की ही वस्तुएं बनेंगी ।"

आगे यह मत किया गया :-

"97. राजनैतिक दार्शनिकों और इतिहासकारों ने हमको उस बौद्धिक प्रगति के विषय में शिक्षा दी है जिसको हमारी सभ्यता द्वारा प्राप्त किया गया और जो वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के बिना असंभव होगी । किसी भी दृष्टि से राजनैतिक स्वातंत्र्य इस धारणा पर आधारित है कि उस स्वातंत्र्य की सतर्कतापूर्वक रक्षा की जानी चाहिए । वोल्टायर ने एक लोकतंत्रवादी के विश्वास को अभिव्यक्त किया, जब उन्होंने एक विरोधी को यह दलील दी : 'मैं आपके द्वारा कहे गए वचनों से सहमत नहीं हूं किंतु मैं मृत्यु तक आपके ऐसा कहने के अधिकार की रक्षा करूंगा ।' विचार और अभिव्यक्ति के मानवीय स्वातंत्र्य के समर्थकों ने प्रत्येक काल में यह महसूस किया है कि बौद्धिक गतिहीनता समाज को विसर्पी बना देती है जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों को विचार और अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य से वंचित कर देती है, चाहे वह वंचित करना अतिसूक्ष्म ही क्यों न हो ।"

63. **गजानन विशेश्वर बिरजुर** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :-

"10. इस मामले को समाप्त करने के पूर्व हमारे जैसे लोकतांत्रिक समाज में हमें विचारों को नियंत्रित करने के प्रयासों के साथ-साथ अपनी अप्रसन्नता भी व्यक्त करनी चाहिए । मानव इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि संपूर्ण विकास और प्रगति बौद्धिक सामर्थ्य के कारण है और विचारों को नियंत्रित करने का प्रत्येक प्रयास हमेशा असफल रहा है । किसी विचार को नष्ट नहीं किया जा सकता । दमन कभी सफल स्थाई नीति नहीं हो सकती । दमन द्वारा कृत सतही शांति मिथ्या है । एक दिन विस्फोट अवश्य होगा । हमारा संविधान विचारों और विचारधाराओं की स्वतंत्रता प्रदान करता है । यदि हम अभिव्यक्ति का प्रयोग करें, तो वह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) के निबंधनों के अनुसार विधि के कारण एकमात्र परिसीमा है । विचारों पर नियंत्रण हमारे संविधान की योजना के प्रतिकूल है । इसी प्रकार के । राबर्ट जैक्सन ने मत अमेरिका के संविधान के संदर्भ में अमेरिकन कम्युनिकेशन्स एसोसिएशन **बनाम** डाउड्स [339 यू. एस. 382, 442-43 (1950) = 94 लाइयर्स एडिशन 925] वाले मामले में व्यक्त किए :-

विचारों पर नियंत्रण सर्वसत्तावाद का प्रतिलिप्यधिकार है और हमारा इस पर कोई दावा नहीं है । हमारी सरकार का यह कार्य नहीं है कि वह नागरिकों को त्रुटियां करने से रोके बल्कि

[1] (1994) 5 एस. सी. सी. 550.

नागरिकों का यह कार्य है कि वह सरकार को त्रुटियां करने से रोके । हम सेंसरशिप को तभी न्यायोचित ठहरा सकते हैं जब सेंसर ऐसी त्रुटि, जिसे वह करता है, के प्रति बेहतर रूप से परिरक्षित हो ।"

64. **हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समाचार पत्र वाक् स्वातंत्र्य के प्रयोग के माध्यम हैं, इसके शेयर धारकों का प्रेस को स्वतंत्र रखने का अधिकार कैसे एक मूल अधिकार है । **साकल पेपर्स (प्रा.) लिमिटेड** बनाम **भारत संघ**[2], **टाटा प्रेस लिमिटेड** (उपरोक्त) और **बेनेट कोलमेन** (उपरोक्त) वाले मामलों को निर्दिष्ट करते हुए यह अभिनिर्धारित किया :-

"इसमें न तो कोई संदेह है और न ही कोई विवाद कि न्यूजप्रिंट और अन्य वित्तीय दायित्वों की लागत वहन करने के प्रयोजनार्थ, जिसमें श्रमजीवी पत्रकारों को देय मजदूरी, भत्ते और उपदान, पाठकों को ऐसे मूल्य पर समाचारपत्र उपलब्ध कराना, जिसे वे वहन कर सकें और अंशधारकों को युक्तियुक्त लाभ का भुगतान करने का दायित्व भी सम्मिलित है, याचियों के पास समाचारपत्रों में वाणिज्यिक और अन्य विज्ञापनों के प्रकाशन द्वारा निधियां एकत्रित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता ।"

65. अत:, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि श्रमजीवी पत्रकारों को मजदूरी भत्ते और उपदान आदि प्रदान करने के प्रयोजनार्थ न्यूजप्रिंट पर कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जा सकता ।

66. इस संबंध में, धर्म और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के संबंध में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान के प्रथम संशोधन का उल्लेख करना उपयोगी होगा :-

"कांग्रेस धर्म की स्थापना या उसके अबाध प्रयोग को प्रतिषिद्ध करने से संबंधित या वाक् या प्रेस स्वातंत्र्य को कम करने या लोगों के शांतिपूर्वक एकत्र होने के अधिकार और सरकार के समक्ष शिकायतों के निस्तारण के लिए याचिका प्रस्तुत करने की विधि अधिनियमित नहीं करेगी ।"

67. संयुक्त राज्य अमेरिका की विधि न केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है अपितु यह भी अभिनिर्धारित करती है कि उसके नागरिक व्यवस्था के विरुद्ध वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए ध्वज को जला भी सकते हैं, किंतु बाद वाले भाग आ अनुमोदन नहीं करते ।

हेरोल्ड ओमांड स्पेंस[3] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया :-

"उसने अपने देश के ध्वज के रूप में ऐसी रीति में प्रदर्शन किया, जिस तरह ध्वज हमेशा संप्रतीक के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं । फिर भी उसका संदेश प्रत्यक्ष, बोधगम्य और प्रथम संशोधन की रूपरेखा के भीतर था ।"

---

[1] (2003) 1 एस. सी. सी. 591.

[2] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 305.

[3] 41 लाइयर्स एडीशन सेकेंड, पृष्ठ 842.

सिडनी स्ट्रीट बनाम **न्यूयार्क राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया :-

"हम ऐसी धारणा नहीं रखते जो ऐसी अभिव्यक्ति पर आधारित हो, चाहे अरुचिकर ही क्यों न हो, जिसे संविधान सहन करता है और संरक्षित करता है ।"

टेक्सास बनाम **जान्सन**[2] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया :-

"किंतु चाहे वह अपने अपराध की गंभीरता को समझ सकता है या नहीं, बात यह है कि उसका कार्य संविधान के तकनीकी और मूल अर्थ, दोनों दृष्टि से भाषण था । अत: मैं न्यायालय से सहमत हूं कि उसे स्वतंत्र कर दिया जाए ।"

यू. एस. बनाम **शान डी. ईचमैन**[3] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया :-

"सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों का सृजन कर सकती है, उन्हें संप्रवर्तित कर सकती है और उनके सम्मानपूर्वक व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकती है । किंतु ध्वज संरक्षण अधिनियम, 1989 अपने संभाव्य अभिव्यक्तिशील प्रभाव के कारण आपराधिक रूप से अर्थपूर्ण आचरण को विहित कर सके, पर भी उपबंधित करता है ।"

68. तथापि, हम **बोर्ड आफ एजूकेशन** बनाम **बारनेट**[4] वाले मामले के विनिश्चय का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है :-

"मतभेद की स्वतंत्रता उन बातों तक सीमित नहीं है जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं । वह स्वतंत्रता की मात्र छाया होगी । विद्‌यमान व्यवस्था की मर्मस्पर्शी बातों के संबंध में भिन्नता का अधिकार इसकी दृढ़ता की कसौटी है ।

यदि हमारे सांविधानिक तारामंडल में कोई स्थिर तारा है, तो वह यह है कि कोई भी उच्च या निम्न अधिकारी यह विहित नहीं कर सकता कि राजनीति, राष्ट्रीयता, धर्म या राय के अन्य मामलों में परम्परागत क्या होगा या नागरिकों को उसमें अपनी सत्यनिष्ठा शब्दों या कार्यों द्‌वारा स्वीकृत करने के लिए विवश नहीं करेगा । यदि ऐसी कोई परिस्थितियां हैं, जो इस बाबत किसी अपवाद के होने के कारण उपरोक्त व्यवस्थाओं की अनुज्ञा प्रदान करती हैं, तो वे हमारे समक्ष विचारार्थ उपस्थित नहीं हुई ।"

69. यहां भारत के संविधान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान के बीच विभेद का उल्लेख करना आवश्यक है अर्थात् यू. एस. ए. का संविधान अपने प्रथम संशोधन द्‌वारा नागरिकों को धर्म और स्वातंत्र्य

[1] 22 लाइयर्स एडीशन सेकेंड, पृष्ठ 572.

[2] 105 लाइयर्स एडीशन सेकेंड, पृष्ठ 345.

[3] 110 लाइयर्स एडीशन सेकेंड, पृष्ठ 287.

[4] 319 यू. एस. 624.

अभिव्यक्ति का आत्यंतिक अधिकार प्रदान करता है किंतु भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का ऐसा आत्यंतिक अधिकार प्रदान नहीं करता । यह केवल सापेक्ष अधिकार को उपबंधित करता है । वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का नागरिकों का ऐसा मूल अधिकार उसके खंड (2) में अंतर्विष्ट विनियामक उपाय के अध्यधीन है । जब तक यह अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद, देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम तक सीमित है, तब तक उन भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग मूल अधिकार होगा । इसका प्रयोग वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता ।

70. ध्वज संहिता कानून नहीं है ; उसके द्वारा अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन मूल अधिकार को विनियमित नहीं किया जाता है । किंतु ध्वज संहिता के अधीन अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन उस सीमा तक किया जाना चाहिए जिस सीमा तक यह राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के परिरक्षण को उपबंधित करती हो । राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार आत्यंतिक अधिकार नहीं है । राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के प्रयोजन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उस प्रयोजन के लिए यह अपेक्षित है कि ध्वज के सम्मान के कर्तव्य का पालन कड़ाईपूर्वक किया जाए । ध्वज फहराने वाले व्यक्ति का गर्व भारतीय होने का गर्व है और प्रत्येक स्थिति में यह व्यक्त होना चाहिए । राज्य मामूली सा भी असम्मान सहन नहीं कर सकता ।

71. इस संबंध में अंतिम प्रश्न कि क्या राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को मूल कर्तव्य के संदर्भ में समझा जा सकता है ।

72. प्रत्येक अधिकार कर्तव्य के साथ जुड़ा है । यद्यपि संविधान का भाग-3 अधिकार प्रदान करता है लेकिन इसके अधीन कर्तव्य और विनियम अंतर्निहित हैं । ऐसे युक्तिसंगत विनियम संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 4 और 6 के अलावा संविधान के भाग-3 के उपबंधों में पाए जाते हैं ।

73. अत: यह अधिकार कतिपय निर्बंधनों के अध्यधीन है जिसे अध्याय 4-क में पढ़ा जा सकता है । अनुच्छेद 51-क(ग) इस प्रकार हैं :-

> "(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उको अक्षुण्ण रखे ।"

74. इस प्रश्न पर कि क्या अनुच्छेद 51-क न्याय्य या प्रवर्तनीय नहीं है, बाद में विचार किया जाएगा । **भारतीय हस्तशिल्प इम्पोरियम और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया :-

> "कानून के उपबंधों पर भी संविधान के अनुच्छेद 48-क और 51-क(छ) को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना अपेक्षित है, जो निम्न प्रकार हैं :-
>
> '**48-क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा -** राज्य, देश के

[1] जजमेंट टुडे 2003 (7) एस. सी. 446.

पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा ।'

'51-क मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

....

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करें' तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे ;'

हम संविधान के अनुच्छेद 48-क में किए गए कथनों की अनदेखी नहीं कर सकते जो देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने और पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन करने के लिए राज्य को व्यादेश देता है । राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जो देश के शासन के लिए मूल तत्व हैं, के प्रतिकूल होने के कारण पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के लिए जो नाशक हैं, को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए । इसी प्रकार अध्याय 4-क के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए । अनुच्छेद 51-क का खंड (छ) वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा करने और उनका संवर्धन करने के तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखने को सम्मिलित करते हुए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने और उसका संवर्धन करने की प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा करता है । पूर्वोक्त उपबंधों को ध्यान में रखते हुए संशोधनों को लागू किया जाना चाहिए ।"

75. भारत संघ द्वारा ध्वज संहिता में किए गए नए संशोधन और विद्वान् महासालिसिटर का पक्षकथन कि केंद्रीय सरकार व्यक्ति द्वारा ध्वज फहराए जाने के विरुद्ध नहीं है, स्वमेव इस तथ्य का सूचक नहीं है कि जहां तक अनुच्छेद 19(1)(क) का संबंध है, उदार अर्थान्वयन किया जाए । अमेरिका के विनिश्चयों की विधि को इस आत्यंतिक प्रतिपादना का कि ध्वज जलाना क्रोध की अभिव्यक्ति है, भारत में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह राष्ट्रीय ध्वज के असम्मान की कोटि में आएगा ।

76. **एस. रंगाराजन आदि** बनाम **पी. जगजीवन राम और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निबंधनों के अनुसार विधि को अधिकथित किया :-

"हम उस फिल्म के बारे में जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए आधार पर प्रसन्न है, फिर भी क्षुब्ध हैं । हम मनोवदनात्मक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण का क्या महत्व है यदि राज्य इसके संरक्षण की देखभाल नहीं करता । यदि फिल्म अनाक्षेपणीय है और इसे सांविधानिकत: अनुच्छेद 19(2) के अधीन निर्बंधित नहीं किया जा सकता है तो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य को प्रदर्शन और जुलूस के भय या हिंसा के भय के कारण दबाया नहीं जा सकता । वह विधिसम्मत शासन की अवज्ञा और भयादेहन और अभित्रास के समक्ष समर्पण के समान होगा । अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है चूंकि यह स्वतंत्रता राज्य के विरुद्ध प्रत्याभूत

[1] (1989) 2 एस. सी. सी. 574.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

है । राज्य सभा के उपद्रवी हो जाने की समस्या से निपटने की अपनी असमर्थता का दावा नहीं कर सकती है । इसके रोकना और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की सुरक्षा करना इसका आबद्धकर कर्तव्य है ।"

77. **रंगनाथ मिश्र** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी की सिफारिश, जिस पर संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन राष्ट्रीय आयोग द्वारा विचार किया, को निर्दिष्ट किया, जो इस प्रकार है :-

"ऐसी सामाजिक पद्धति और वातावरण, जिसमें व्यक्ति आदर्श प्रतिमान या विधि के दंडात्मक उपबंधों के कारण रहता है, की मांग के परिणामस्वरूप व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करता है । नागरिकों की बाध्यताओं के अनुपालन की अपेक्षा करने के लिए, जहां भी उसकी आवश्यकता हो, उपयुक्त विधान अधिनियमित करना आवश्यक हो सकता है । यदि आवश्यक अनुशासन को प्रवर्तित करने के लिए विद्यमान विधियां अपर्याप्त हैं, तो विधायी और न्यायिक निदेश उपलब्ध हैं और फिर भी नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों का अतिलंघन किया जाता है तो उनके क्रियान्वयन के लिए अन्य युक्तियों का सहारा लेना होगा ।

वांछित प्रवर्तनीयता को न केवल विधिक अनुशास्तियों द्वारा बल्कि सामाजिक अनुशास्तियों द्वारा और आदर्श अनुकरणीय प्रतिमान कार्य द्वारा निर्वहन को सुकर बनाकर बेहतर रूप से प्राप्त किया जा सकता है । यदि विधिक अनुशास्ति की बाध्यता के तत्व को सामाजिक मांग सन्नियमों के पालन के लिए नैसर्गिक प्रवृत्ति के साथ जोड़ा जाए, तो नागरिक ऐसे प्रयोग के इच्छुक भागीदार हो जाएंगे । अत:, वास्तविक कार्य ऐसे तरीके को खोजना है जो सामान्य नागरिकों और विशेष रूप से युवाओं द्वारा कार्यक्रम की तुरंत स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिए इन पहलुओं का समुच्चय हो ।

समिति का यह दृढ़ मत है कि शिक्षा के सभी स्तरों के पाठ्क्रमों में व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के उद्देश्य और समग्रत: व्यक्ति की गरिमा के महत्व पर बल दिया जाना चाहिए । यह नागरिक मूल्यों, जो अधिकारों और कर्तव्यों के समुचच्य है, के बोध की अपेक्षा करता है और साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व पैदा करता है । विद्यालयों और महाविद्यालयों के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और सह-शिक्षाक्रम क्रियाकलपों में संवैधानिक मूल्यों के रूप में इस धारणा को क्रियान्वित करने के लिए तरीके अपनाए जाने चाहिए ।"

78. इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि केंद्रीय सरकार इस समिति की सिफारिशों पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करे और उसके क्रियान्वयन के लिए उचित कदम उठाए ।

79. राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मूल अधिकार है किंतु निर्बंधनों के अध्यधीन है । अधिकार अबाधित, अननुमोदित, अनिर्बंधित और असमर्थित नहीं है । मात्र ध्वज फहराने के अधिकार के बनिस्पत सम्मानपूर्वक ध्वज फहराने के अधिकार के प्राख्यान को दो महत्वपूर्ण संसदीय अधिनियमितियों अर्थात्

---

[1] (2003) 7 एस. सी. सी. 133.

संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 और राष्ट्रगौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 द्वारा विनियमित और नियंत्रित किया गया है ।

80. न्यायालय राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की सतर्कतापूर्वक संरक्षा करता है, जैसाकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **ए. सत्य फनीन्द्र** बनाम **थाना प्रभारी, कोडा (थाना) नालगोंडा और अन्य**[1] वाले मामले में, जिसमें हममें से एक न्यायमूर्ति सिन्हा न्यायाधीश थे, द्वारा दिए गए विनिश्चय को अवेक्षित किया जा सकता है । राष्ट्रीय ध्वज से मिलते-जुलते तिरंगे कपड़े से लिपटे पत्र जिसे रूमाल के रूप में बेचा गया था, पर विचार करते हुए न्यायालय ने उक्त अधिनियमों के उपबंधों को निर्दिष्ट करते हुए यह अभिनिर्धारित और निर्देशित किया:-

> “9. उसके प्रयोजन और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त उपबंधों का कड़ाईपूर्वक अर्थान्वयन किया जाना चाहिए । उनका अर्थान्वयन संविधान के अनुच्छेद 51-क के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए ।
>
> 10. पूर्वोक्त अधिनियम और भारतीय ध्वज संहिता के उपबंधों में उन कारणों को स्पष्ट रूप से अभिकथित किया गया है कि संसद् द्वारा इन्हें क्यों अधिनियमित किया गया चूंकि भारत के प्रत्येक नागरिक से यह प्रत्याशा की जाती है कि यथोचित राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और भारत के संविधान का सम्मान करे और जानबूझ कर असम्मान के किसी मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए ... ।
>
> 11. नालगोंडा जिला कलक्टर और नालगोंडा पुलिस अधीक्षक समेत समुचित प्राधिकारियों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए ।
>
> 12. स्पष्ट रूप से वे अपने कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे ।
>
> 13. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तारीख 15 दिसंबर, 2000 के पत्र में यह अभिकथित है कि उसका लेखक उन व्यक्तियों के नाम नहीं जानता, जिन्होंने यह पत्र लिखा, हम राज्य को और विशेष रूप से जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के दुरुपयोग के संबंध में अन्वेषण करें और यह सुनिश्चित करें कि अपराधियों को आरोपित किया गया या नहीं, इस आदेश की एक प्रति आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को भेजी जाए जिससे कि राष्ट्रीय ध्वज का दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी संबद्ध पक्षों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकें । तदनुसार, हम रिट याचिका का निपटारा करते हैं । खर्चे के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा ।”

81. हमें आशा और विश्वास है कि संसद् इस मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयुक्त अधिनियमिति बनाएगी ।

82. पूर्वोक्त कारणों से हम अभिनिर्धारित करते हैं कि (i) सम्मान और गरिमा के साथ अबाध रूप से

---

[1] (2001) 2 ए. एल. टी. 141.

राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(i)(क) के अर्थान्तर्गत राष्ट्र के गौरव के प्रति, उसके प्रति निष्ठा की भावना और संवेग की अभिव्यक्ति होने के कारण नागरिकों का मूल अधिकार है ; (ii) राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मूल अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है अपितु संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (2) के अधीन युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन होने के कारण एक सापेक्ष अधिकार है ; (iii) संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम , 1950 और राष्ट्रगौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग को विनियमित करते हैं ; (iv) यद्‌यपि ध्वज संहिता संविधान के अनुच्छेद 13(3)(क) के अर्थान्तर्गत अनुच्छेद 19 के खंड (2) के प्रयोजन के लिए विधि नहीं है, फिर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार के अबाध प्रयोग को निर्बंधित रूप से विनियमित नहीं करती । तथापि, ध्वज संहिता, जहां तक राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और गरिमा को संरक्षित करने को उपबंधित करती है, का पालन किया जाना चाहिए ; (v) सांविधानिक स्कीम के निर्वचन के प्रयोजनार्थ और विनियामक उपायों/निर्बंधनों और नागरिक के मूल/विधिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयोजनार्थ संविधान के दोनों भागों अर्थात् भाग-4 और 4-क का अवलंब लिया जा सकता है ।

83. पूर्वोक्त कारणों से हम इन अपीलों में कोई सार नहीं पाते जिन्हें तदनुसार खारिज किया जाता है । किंतु इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

अपीलें खारिज की गईं ।

———